सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v-vi
विहंगावलोकन		vii-xx
अध्याय - 1		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप	1	1-14
अध्याय - 2		
सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा		
झारक्राफ्ट द्वारा ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान	2.1	15-27
झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) का लेखापरीक्षा	2.2	28-34
अध्याय - 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन		
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल)		
जल विद्युत संयंत्र सिकिदिरी में ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के ऊर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि	3.1	35-37

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2017 को सरकारी कंपनियों के प्रदत्त पूंजी और अदत्त ऋण	1.1 एवं 1.5	39-42
1.2	31 दिसम्बर 2017 को सा.क्षे.उ. (जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा बकाया नहीं है) की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	1.1	43

1.3	31 दिसम्बर 2017 को कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के बकाया लेखों के विवरण	1.9	44-45
1.4 (अ)	झारखण्ड के कार्यशील सा.क्षे.उ. जिनके लेखें बकाया हैं के निदेशक मंडल मे शामिल निदेशकों का नाम	1.9	46-53
1.4 (ब)	निदेशकों के नाम जो एक से ज्यादा सा.क्षे.उ. में हैं जिनकें लेखें बकाया हैं	1.9	54-55
1.5	राज्य सरकार दवारा सा.क्षे.उ. में अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जिनके खाते 31 दिसंबर 2017 को बकाया थे	1.11	56-59
1.6	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति का सारांश एवं कार्यकारी परिणाम (जिनके खाते तीन से अधिक वर्षों से बकाया नहीं हैं)	1.12	60-63
1.7	बिहार और झारखंड के बीच अविभाजित बिहार राज्य के सा.क्षे.उ. और सांविधिक निगमों का नाम जिनकी संपत्ति और देनदारियों को विभाजित किया जाना था	1.21	64
1.8	डिस्कॉम (जेबीवीएनएल) दवारा उदय योजना का कार्यान्वयन	1.22	65-66
2.1.1	पानीपत, हरियाणा से झारखंड तक कम समयान्तराल के भीतर दो बार इस्तेमाल होने वाले वाहनों का विवरण	2.1.3	67-68
2.1.2	वाहनों का विवरण जिनका पंजीकरण संख्या माल प्राप्ति रसीद के परिवहन चालान में उल्लिखित पंजीकरण संख्या एवं वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी सड़क परमिट में उल्लिखित पंजीकरण संख्या से भिन्न थे	2.1.3	69

2.1.3	झारखण्ड के विभिन्न क्लस्टर से पानीपत, हरियाणा के लिए अर्ध-परिष्कृत कम्बल ले जाने वाले वाहनों का विवरण जिनका प्रयोग दो बार उसी दिन या कम समयान्तराल में दो विभिन्न जिलों से किया गया	2.1.3	70
2.1.4	एस.एच.जी/ पी.डब्ल्यू.सी.एस. द्वारा बिना धागे की उपलब्धता के कम्बल आपूर्ति किए जाने की विवरणी	2.1.5	71
2.1.5	एस.एच.जी/ पी.डब्ल्यू.सी.एस. द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक आपूर्ति किए गये कम्बलों की विवरणी	2.1.5	72-80

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) द्वारा 8.89 लाख ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन से संबंधित ₹ 18.41 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान पर लेखापरीक्षा के परिणाम, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेखापरीक्षा और एक सा.क्षे.उ. की अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित एक लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों का लेखापरीक्षा किया जाता है। सीएजी वैधानिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखों की पूरक लेखापरीक्षा करता है, जिसकी नियुक्ति सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत होती है, और वह वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणियां या पूरक देता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत सीएजी उनके द्वारा लेखापरीक्षित सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखों पर अपनी रिपोर्ट झारखण्ड के राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए सरकार को प्रस्तुत करता है।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया है:

1. झारखण्ड में 24 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में से 22 सा.क्षे.उ. के लेखें 2009-10 की अवधि तक से बकाया है। लेखों के बनाने में देरी/नहीं बनाने, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन के अलावा, तथ्यों की गलत प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ है।

2. पिछले तीन वर्षों में अपने लेखों को अंतिम रूप देने वाले 10 सा.क्षे.उ. ने औसत 6.87 प्रतिशत की उधार लागत के मुकाबले 18.34 प्रतिशत की औसत नकारात्मक निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) के परिणामस्वरूप राजकीय कोष को पिछले तीन साल में ₹ 2,092.21 करोड़ का नुकसान पहुँचाया। 14 सा.क्षे.उ. जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उनका नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है।

3. राज्य सरकार ने राज्य सा.क्षे.उ. के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। फलस्वरूप, हालांकि, पाँच सा.क्षे.उ. ने, अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ₹ 128.11 करोड़ की सरकारी अंशपुंजी के साथ ₹ 22.98 करोड़

के कुल लाभ अर्जित किए, इनमें से किसी भी सा.क्षे.उ. ने लाभांश घोषित नहीं किया।

4. वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 12 कंपनियों द्वारा अंतिमीकृत 21 लेखाओं पर दोषयुक्त प्रमाण पत्र दिए। कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि सात कंपनियों के 11 लेखाओं पर 36 मामलों में लेखांकन मानको का अनुपालन नहीं किया गया था।

5. यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर राज्य सरकार ने छः कार्यरत सा.क्षे.उ. को ₹ 208.22 करोड़ का और एक अकार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 15.52 करोड़ का बजटीय सहायता दिया था, जबकि उन्होंने 2014-15 से 2016-17 के अवधि के लिए अपने लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया है।

6. पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड में पुनर्गठन के 17 वर्षों के बाद भी सात सा.क्षे.उ. की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन पूरा नहीं हुआ है।

7. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) उज्जल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत वित्तीय लक्ष्यों और परिचालन प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

8. 8.89 लाख कंबल के उत्पादन और परिवहन से संबंधित झारक्राफ्ट के दस्तावेजों के मिलान करने पर ₹ 18.41 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान का पता चला।

9. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड के लेखापरीक्षा में अयोग्य निविदादाताओं को कार्य आवंटन और सरकार के योजना मद से अर्जित आय को गलत ढ़ंग से खुद का आय मान लेने से ₹ 5.03 करोड़ आयकर का परिहार्य भुगतान परिलक्षित हुआ।

10. लेखापरीक्षा ने झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा बुशिंग की सावधिक जाँच में विफलता एवं उसके क्रय तथा प्रतिस्थापना में अनावश्यक विलंब के कारण ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के बराबर ऊर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि पाया।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय-1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के क्रियाकलाप पर सामान्य जानकारियाँ,

अध्याय-2: झारक्राफ्ट द्वारा उनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान, और झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा,

अध्याय-3: सा.क्षे.उ. पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 46.23 करोड़ है।

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

झारखण्ड में 24 सा.क्षे.उ. हैं। 31 मार्च 2017 को, इन सा.क्षे.उ. में ₹ 10,753.32 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। राज्य सरकार के निवेश का झुकाव विगत पाँच वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में था (₹ 9,425.67 करोड़)।

सभी 24 सा.क्षे.उ. राज्य सरकार की कंपनियां हैं, जिनमें तीन अकार्यशील कंपनियां शामिल हैं।

24 सा.क्षे.उ. में से 22 सा.क्षे.उ. के पास 2009-10 की अवधि तक से लेखें बकाया थे। लेखों को बनाने में देरी/लेखों को न बनाना तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण, कपटपूर्ण और दुरूपयोग की जोखिम से भरा हुआ है।

इन 10 सा.क्षे.उ. के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.98 करोड़ का लाभ कमाया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,700.73 करोड़ की हानि उठाई। इन 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,052.92 करोड़ का आवर्त दर्ज किया।

इन 10 सा.क्षे.उ. ने, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखों को पूर्ण किया, राज्य सरकार के विनियोग (अंश एवं दीर्घावधि ऋण) पर औसत 18.34 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया। इसके मुकाबले, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के अवधि में ली गई राज्य सरकार के ऋण का औसत लागत दर 6.87 प्रतिशत थी। इस प्रकार, विगत तीन वर्षों में 10

सा.क्षे.उ. में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 2,092.21 करोड़ की हानि हुई। शेष 14 सा.क्षे.उ., जिन्होंने अपने लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया, की हानि, यदि हो, तो उसका आकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 एवं 1.10)

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक वित्तीय विवरणी का अन्तिमीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर अर्थात सितम्बर के अन्त तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है, जिसमें संबंधित कंपनी का प्रत्येक अधिकारी को, जो ऐसा चूक करता है, एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम पचास हजार का जुर्माना जो बढ़ाकर ₹ पाँच लाख तक किया जा सकता है, या दोनों हो सकती है।

21 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से केवल 2 सा.क्षे.उ. ने 2016-17 के लेखें का अन्तिमीकरण किया, जबकि 31 दिसम्बर 2017 तक बाकी 19 सा.क्षे.उ. के 54 लेखें एक से लेकर आठ साल तक के लिए बकाया थे। तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. के पास 15 लेखें एक से आठ साल तक के लिए बकाये थे। राज्य सरकार ने 12 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹ 2,659.56 करोड़ (अंश, ऋण, अनुदान, सहाय्य, आदि) का बजटीय सहायता उन वर्षों में प्रदान किया, जिन वर्षों के लिए उनके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, इसमें से ₹ 208.22 करोड़ की बजटीय सहायता उन छः कार्यशील सा.क्षे.उ. को दिया गया था जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाये थे।

राज्य सरकार ने सा.क्षे.उ. के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। फलस्वरूप, यद्यपि अन्तिमीकृत लेखों के आधार पर पाँच सा.क्षे.उ. जिनमें सरकारी अंश ₹ 128.11 करोड़ था, कुल ₹ 22.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया, इनमें से किसी ने लाभांश घोषित नहीं किया।

(कंडिका 1.9, 1.10, 1.11 एवं 1.14)

अनुशंसाएँ

- **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा.क्षे.उ. अपने लेखों को अद्यतन करने हेतु शीघ्र कदम उठाये ताकि इन सा.क्षे.उ. के निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन न हो।**
- **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार उन सा.क्षे.उ. को नहीं किया जाय जिनके लेखें अद्यतन नहीं हैं।**

लेखा टिप्पणियां

वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 12 कार्यशील कंपनियाँ द्वारा अन्तिमीकृत 21 लेखाओं पर दोषयुक्त प्रमाण-पत्र दिये। कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि सात कंपनियों के 11 लेखाओं पर 36 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(कंडिका 1.16)

अनुशंसा

- **वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को तुरन्त उन 12 कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोषयुक्त टिप्पणियां की थी।**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

मौजूदा निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीने के अंदर इसमें शामिल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा पर उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियां देने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2005-06 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिनको राज्य विधानसभा में अप्रैल 2007 से अगस्त 2017 के दौरान रखा गया था, में शामिल 70 लेखापरीक्षा कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा में से आठ[1] विभागों से संबंधित 33 निष्पादन

[1] (1) ऊर्जा विभाग; (2) उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग; (3) पर्यटन, कला,संस्कृति, खेल और युवा मामले की विभाग; (4) वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग; (5) जल संसाधन विभाग; (6) गृह, जेल और आपदा प्रबधंन विभाग; (7) शहरी विकास और आवास विभाग; और (8) उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग।

लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा कंडिकाओं के स्पष्टीकरण टिप्पणियां अभी भी अप्राप्त थे (जून 2018)।

(कंडिका 1.18)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुन: संरचना

15 नवम्बर 2000 से, पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के फलस्वरूप 12 सा.क्षे.उ. की संपतियों एवं दायित्वों के बँटवारे का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था। तथापि, दिसम्बर 2017 तक इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा.क्षे.उ. के संबंध में ही पूरा किया गया है।

(कंडिका 1.21)

अनुशंसा

- **चूँकि राज्य के पुनर्गठन को लगभग दो दशक बीत चूके हैं, राज्य सरकार को बिहार सरकार के साथ मिलकर उन सात सा.क्षे.उ. के संपतियों एवं दायित्वों के त्वरित बँटवारे हेतू आवश्यक कार्रवाइ करनी चाहिए जिसमें 15 नवम्बर 2000 तक ₹ 132.36 करोड़ का सरकारी निवेश था।**

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

योजना के क्रियान्यवयन हेतु उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के बीच विनिर्दिष्ट वित्तीय और परिचालन लक्ष्य के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) किया गया।

एमओयू के अनुसार झारखण्ड सरकार द्वारा जेबीभीएनएल का बकाया ऋण ₹ 6,136.37 करोड़ को 2015-16 के दौरान अनुदान देकर ले लेना था। लेकिन झारखण्ड सरकार ने इस राशि को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जिसके फलस्वरूप कंपनी को प्रतिवर्ष ₹ 797.73 करोड़[2] का वार्षिक ब्याज-दायित्व का निर्माण हुआ जो कि एमओयू का उल्लघंन था। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार द्वारा कंपनी को 2016-17 के लिए ₹ 292 करोड़ का अनुदान देय था जो अभी तक (जून 2018) नहीं दिया गया है।

[2] 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर

जेबीभीएनएल वित्तीय लक्ष्यों जैसे तकनीकि एवं व्यावसायिक (एटी एंड सी) हानि, विपत्रीकरण कुशलता और संग्रहण कुशलता को प्राप्त करने में विफल रही। परिचालन लक्ष्य की प्राप्ति के मामलें में भी जेबीवीएनएल की स्थिति संतोषजनक नहीं था। यह वितरण ट्रांसफार्मर मिटरिंग (ग्रामीण), ग्रामीण फिडरों का अंकेक्षण, स्मार्ट मिटरिंग और वैसे घरों में जहां विद्युत संबंध नहीं था, विद्युत पहुँचाने में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका।

(कंडिका 1.22)

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा

2.1 झारक्राफ्ट द्वारा ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान

झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने 8.89 लाख कंबल के लिये ऊनी धागे, मजदूरी, परिष्करण और परिवहन से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया।

श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग (श्रम विभाग), झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) को, जो कि एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ₹ 29.48 करोड़ मूल्य के 9,82,717 ऊनी कंबल की आपूर्ति का आदेश दिया (नवंबर 2016 और मई 2017)। झारक्राफ्ट ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) को कम्बल बुनाई के लिए धागा और हथकरघा देने की योजना बनाई जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। इसके बाद अर्ध-परिष्कृत कंबल नूतन इंडस्ट्रीज, पानीपत द्वारा धोए एवं परिष्कृत किये जाने थे और तैयार कंबलों को झारखण्ड के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले लोगों में वितरण के लिए सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची द्वारा परिवहन किया जाना था। झारक्राफ्ट ने जनवरी 2018[3] तक ₹ 19.39 करोड़[4] का व्यय किया।

---

[3] यार्न के लिए ₹ 14.53 करोड़, पर्यवेक्षण शुल्क सहित बुनकरों के मजदूरी के लिए ₹ 2.39 करोड़, कम्बल के परिष्करण के लिए ₹ 1.36 करोड़ और परिवहन के लिए ₹ 1.10 करोड़।

[4] विभाग द्वारा ₹ 6.85 करोड़ प्रदान किए गए (जुलाई 2017), प्रबंध निदेशक के आदेशों के तहत ₹ 4.54 करोड़ स्वयं के स्रोत से तथा ₹ 8.00 करोड़ सेरीकल्चर योजना के तहत उपलब्ध धनराशि से विचलन (जुलाई 2017 और नवंबर 2017) कर किया गया, जिसे अभी तक प्रतिपूर्ति किया जाना बाकी है।

लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि अधिकृत लेन-देन एक कपोल कल्पित कहानी थी और झारक्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा कहीं और से निम्नकोटि के कंबल खरीद कर उपायुक्तों के माध्यम से 24 जिलों में बीपीएल श्रेणी के लाभुकों में वितरित किया गया था। इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाले लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे वर्णित हैं :

धागों की खरीद में गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने में विफलता

झारक्राफ्ट ने कुल ₹ 15.54 करोड़ मूल्य के धागे की आपूर्ति के लिए एनएएन वूलन मिल्स, पानीपत (18.64 लाख किलोग्राम) और उन्नति इंटरनेशनल, पानीपत (2.94 लाख किग्रा) को आदेश (मई 2016 से सितंबर 2017) दिया। आपूर्ति आदेश में कि 15.24 लाख कि.ग्रा. धागा की आपूर्ति केंद्रीय भंडार इरबा, राँची में किया जाना निर्धारित था। आगे, प्रबंधक निदेशक झारक्राफ्ट ने श्रम विभाग को आश्वस्त किया था (जून 2017) कि रांची के इरबा में स्थित झारक्राफ्ट के केन्द्रीय भंडार में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पांच तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके बावजूद, अभिलेखों में बिना कारण बताये[5] धागों को पानीपत से सीधे झारक्राफ्ट के 27 क्लस्टरों में आपूर्ति (जून 2016 से अक्टूबर 2017) किया गया दर्शाया[6] गया था। चूंकि क्लस्टरों में गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए क्लस्टर को सीधे आपूर्ति की गई धागा की गुणवत्ता की जाँच नहीं की जा सकती थी।

इसके अलावा, झारक्राफ्ट मुख्यालय में धागा की प्राप्ति का भंडार लेखा केवल बिक्री चालानों[7] पर आधारित था और यह साबित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि विपत्र में उल्लिखित वस्तुओं और मात्राओं को वास्तव में पहुँचाया गया था।

(कंडिका 2.1.1)

---

5 तथापि, डीजीएम, हैंडलूम, जो कि कंबल उत्पादन के परिचालन प्रमुख के रूप में उत्तरदायी थे, आपूर्ति आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में या तकनीकी कर्मियों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी थे।

6 झारक्राफ्ट मुख्यालय में संधारित भंडार खाते में, आपूर्तिकर्ता तथा परिवाहकों के चालान में

7 एनएचडीसी या विक्रेता द्वारा जारी (उन मामलों में जहां खरीदारी एनएचडीसी के माध्यम से नहीं की गई थी)

ट्रांसपोर्टरों की अनियमित नियुक्तियां

झारक्राफ्ट ने दो फर्मों[8] को धागे और हैंडलूम उत्पादों के राज्य के अन्दर और बाहर परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर के रूप में चुना (मार्च 2017)। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, डीजीएम हैंडलूम ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने गए दो फर्मों के बजाय चार अन्य फर्मों[9] को ऊनी धागे/अर्द्ध-परिष्कृत कम्बल/ परिष्कृत कम्बलों के परिवहन के लिए नियुक्त किया। इन चार फर्मों में से किसी ने भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और इन अयोग्य फर्मों का चयन डीजीएम हैंडलूम ने कैसे और क्यों किया इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, प्रबंध निदेशक ने डीजीएम हैंडलूम से स्पष्टीकरण माँगा, जिसने उस वक्त आपातस्थिति और विभिन्न उपायुक्तों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कंबल की आपूर्ति करने के दबाव के कारण अनाधिकृत और अनियमित चयन को उचित ठहराया। फलतः, प्रबंध निदेशक ने ₹ 1.10 करोड़ के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के दौरान)। हालांकि, डीजीएम हैंडलूम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बाद में सोचकर दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं था जो साबित करता हो की आपातस्थिति या उपायुक्तों के अनुचित दबाव के कारण ऐसा किया गया था। इसलिए प्रबंध निदेशक द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिया गया अनुमोदन अनियमित था।

(कंडिका 2.1.2)

परिवहन चालान और रोड परमिट में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा में परिवहन चालानों[10] के नमूना जाँच में तथा उनकी वाणिज्य कर विभाग (सीटीडी) द्वारा जारी रोड परमिट के साथ मिलान करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

✓ 27 जुलाई 2017 से 10 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान, 12 वाहनों[11] द्वारा पानीपत से झारखण्ड की प्रथम यात्रा के दौरान महज एक से पांच दिनों के अन्दर 2,366 किमी से 3,134 किमी की दूरी दूसरी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व दो बार वापसी यात्रा तय किये जाने को अभिलेखित किया गया

[8] सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची

[9] (1) हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं., पानीपत; (2) हरियाणा ट्रांसपोर्ट कं., पानीपत; हरियाणा (3) गोल्डेन रोड लाइन्स, करनाल और (4) श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कं., करनाल

[10] सामान क्लस्टर को पहुँचाया गया, लेकिन चालान झारक्राफ्ट मुख्यालय में उपलब्ध

[11] ₹ 1.05 करोड़ मूल्य के 1.46 लाख किलो धागे को ले जाने में

था। इससे वाहनों द्वारा 48 किमी प्रति घंटा से 261 किमी प्रति घंटा[12] की गति से दूरी तय की गई जो कि भारत में ट्रकों की औसत यात्रा गति[13] (20-40 किमी प्रति घंटा) से काफी अधिक था। अतः यह स्पष्ट है कि ये यात्राएँ वास्तव में नहीं हुई थीं।

✓ आठ वाहनों के सन्दर्भ में, जिनके द्वारा 27 जून 2017 से 30 जून 2017 अवधि के दौरान धागों[14] के परिवहन किये जाने का दावा किया गया था, झारक्राफ्ट में उपलब्ध सम्बंधित परिवहन चालानों में उल्लिखित वाहन संख्या वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी रोड परमिट में उल्लिखित वाहन संख्या से मेल नहीं खाता था। इससे यह स्पष्ट है कि रोड परमिट का उपयोग झारक्राफ्ट को आपूर्ति किए जाने वाले धागों के परिवहन के दावों के लिए नहीं किया गया था।

✓ 26 सितम्बर 2017 से 26 अक्टूबर 2017 के बीच तीन वाहनों से 21,071 अर्ध-परिष्कृत कम्बलों को भेजे जाने का दावा किया गया। हालांकि, परिवहन चालानों[15] की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये: (i) अलग-अलग क्लस्टरों तथा अलग-अलग वाहनों के लिए जारी किये गये परिवहन चालानों में हस्तलेखन समान थे, जिसे स्पष्टत: देखा जा सकता था, जो यह संकेत करता है कि परिवहन चालान नकली बनाये गये थे; (ii) एक ही दिन यात्रा करने वाले और एक ही वाहन के चालकों के नाम संबंधित परिवहन चालानों में भिन्न थे; (iii) विभिन्न परिवहन चालानों में दावा किया गया कि तीनों वाहनों में से प्रत्येक ने विभिन्न जिलों में स्थित दो क्लस्टरों (जिनकी दूरी 60 किमी, 227 किमी और 461 किमी) में एक ही दिन में यात्रा किया था जो सम्भव नहीं था। आगे, परिवहन चालान के अनुसार प्रत्येक वाहन द्वारा निर्धारित स्थानों से निर्दिष्ट स्थानों तक (यानि संबंधित क्लस्टर से पानीपत तक) सामग्री ढुलाई का दावा किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वाहन प्रति यात्रा एक से अधिक क्लस्टर नहीं गए थे।

✓ झारखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 यह निर्धारित करता है कि सीटीडी चेक पोस्ट रोड परमिट में लिखी घोषणाओं को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और अपनी आधिकारिक मुहर लगाएंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि

---

[12] यह मानते हुए कि प्रतिदिन 12 घंटे की यात्रा की गयी

[13] भारत में वस्तुओं के आवाजाही के लिए भारत के खुदरा विक्रेता एसोसिएशन के 2013 में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार।

[14] 0.48 लाख किग्रा धागे (मूल्य ₹ 0.35 करोड़)

[15] इस अवधि के लिए रोड परमिट की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि रोड परमिट बनाने की प्रणाली को 1 जुलाई 2017 के बाद ख़त्म कर दिया गया।

जनवरी 2017 से जून 2017 की अवधि के लिए 92 रोड परमिट में से किसी में भी अनिवार्य प्रतिहस्ताक्षर और सीटीडी का आधिकारिक मुहर नहीं लगा था। इसलिए यह स्पष्ट है कि इन रोड परमिट का उपयोग धागों/ अर्ध-परिष्कृत कंबल/ परिष्कृत कंबल के परिवहन के लिए नहीं किया गया था और यह संकेत देता है कि ये दस्तावेज काल्पनिक थे।

(कंडिका 2.1.3)

टोल प्लाजा डेटा के संदर्भ में विसंगतियाँ

पानीपत और झारखण्ड के विभिन्न जिलों के बीच ऊनी धागा/ अर्ध-परिष्कृत/ परिष्कृत कम्बलों के कथित परिवहन की पुष्टि के लिये वाहनों की पंजीकरण संख्या का मिलान एनएच-2 पर स्थित बिहार के सासाराम टोल प्लाजा, एनएच-709 पर स्थित दाहर टोल प्लाजा और एनएच-1 पर स्थित वैकल्पिक भागन टोल प्लाजा[16] (दोनों हरियाणा में) के टोल डाटा[17] से किया गया। पानीपत और झारखण्ड के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए एनएच-2 पर सासाराम होते हुए जो मार्ग है वह सबसे उपयुक्त और सबसे कम दूरी वाला मार्ग[18] था। लेखापरीक्षा ने इसलिए माना है कि, यद्यपि कुछ वाहनों द्वारा अन्य मार्गों का उपयोग किया गया हो, परन्तु यह सम्भव नहीं था कि किसी भी वाहन द्वारा सासाराम होते हुए सबसे कम दूरी और सबसे उपयुक्त मार्ग का उपयोग नहीं किया जाए। लेखापरीक्षा ने यह भी अनुमान लगाया कि पानीपत से झारखण्ड के लिए जाने वाले ट्रक एक दिन[19] में दाहर या भागन टोल प्लाजा पार करेंगे और पानीपत और सासाराम की दूरी कुल तीन दिनों[20] में तय करेंगे।

[16] चूंकि भागन टोल प्लाजा 23 अक्टूबर 2017 से परिचालित हुआ था, इसलिए टोल डाटा इस तिथि से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए एकत्र किया जा सका। हालांकि, झारक्राफ्ट के अभिलेखों के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई धागा नहीं आया था।

[17] सासाराम टोल प्लाजा और दाहर टोल प्लाजा के लिये अवधि 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 और भागन टोल प्लाजा के लिये 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि का टोल डाटा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपलब्ध कराया गया।

[18] अन्य मार्गों से यात्रा तय करने पर वाहनों को 26 किमी से 402 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती।

[19] पानीपत से दाहर टोल प्लाजा 10 किमी और भागन टोल प्लाजा 93 किमी की दूरी पर है। दोनों स्थानों की दूरी को एक दिन में तय किया जा सकता था (झारक्राफ्ट के अभिलेख में बताये गए 48 से 261 किमी प्रति घंटे की अनुमानित गति की तुलना में औसतन 30 किमी प्रति घंटे की दर से प्रति दिन 12 घंटे की दूरी तय करने पर - उपरोक्त अनुच्छेद 2.1.3 देखा जा सकता है)।

[20] पानीपत से सासाराम टोल प्लाजा की दूरी 1,000 किमी है, जिसे तीन दिनों में तय किया जा सकता है।

✓ **पानीपत से झारखण्ड तक ऊनी धागे ले जाने का दावा करने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान**

परिवहन चालान के अनुसार, एक वाहन (एचआर 67ए 1061) ने कथित रूप से दिनांक 15 सितंबर 2017 को पानीपत से झारखण्ड के लिए ऊनी धागे की ढुलाई की थी। हालांकि, दाहर टोल डेटा से पता चला कि ट्रक 15 सितंबर को दाहर के मार्ग से गया था और 16 सितंबर को ही लौट आया था। इसके अलावा, वही ट्रक 19 सितंबर को दाहर को पार कर उसी दिन दाहर के मार्ग से लौट आया। पुनः, वही ट्रक 20 सितंबर 2017 को दाहर से निकलकर 21 सितंबर को लौट आया। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान ट्रक झारखण्ड नहीं गया था और परिवहन चालान काल्पनिक था।

(कंडिका 2.1.4.1)

✓ **झारखण्ड से पानीपत तक अर्ध-परिष्कृत कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान**

परिवहन चालानों के अनुसार 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि में 4,10,844 अर्ध-परिष्कृत कंबल झारखण्ड से पानीपत धुलाई और परिष्करण के लिए 83 ट्रकों की 127 यात्राओं के द्वारा भेजे गये। इनमे से किसी भी ट्रक ने सासाराम टोल पार करने के बाद दाहर या भागन टोल प्लाजा पार नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि इनमें से किसी ने भी झारखण्ड से पानीपत तक के लिए यात्रा नहीं की।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परिवहन चालान के अनुसार एक ट्रक (एचआर 67ए 3918) 16 सितंबर 2017 को डाल्टनगंज, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल डाटा दर्शाता था कि इस ट्रक ने उसी दिन दाहर को पार किया था (1,300 किमी की दूरी)। परिवहन चालानों से यह भी पता चला कि यही ट्रक (एचआर 67ए 3918) 26 सितंबर 2017 को एक बार फिर डाल्टनगंज से निकला था; यहाँ भी, टोल डाटा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन दाहर को पार किया था।

पुनः, परिवहन चालान के अनुसार, एक दूसरा ट्रक (एचआर 67बी 6567) 29 सितंबर 2017 को गोड्डा, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल आंकड़ा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन उल्टी दिशा से (यानि पानीपत की ओर से) दाहर को पार किया था।

इसलिए यह स्पष्ट है कि इन सभी परिवहन चालानों द्वारा जिसमे झारखण्ड के विभिन्न समूहों से पानीपत तक की 4,10,844 अर्ध-परिष्कृत कंबल की ढुलाई का दावा किया गया था, काल्पनिक था।

(कंडिका 2.1.4.2)

✓ **पानीपत से झारखण्ड तक तैयार कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान**

परिवहन चालानों के अनुसार 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि में 4,49,762 तैयार कंबल पानीपत से झारखण्ड वितरण के लिए 46 ट्रकों की 57 यात्राओं के द्वारा भेजे गये। इनमें से किसी भी ट्रक ने दाहर या भागन और सासाराम टोल प्लाजा पार नहीं किया।

इससे यह स्पष्ट है कि परिवहन चालानों में किया गया दावा कि 18.84 लाख किलोग्राम धागे (₹ 13.56 करोड़ मूल्य के), 8.50 लाख अर्ध-परिष्कृत कंबल (₹ 18.42 करोड़ मूल्य के) और 6.75 लाख पूर्ण-परिष्कृत कंबल (₹ 15.83 करोड़ मूल्य के) की झारखण्ड/पानीपत के बीच ढुलाई की गई थी, काल्पनिक था।

(कंडिका 2.1.4.3)

स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी)/ प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) द्वारा कंबल बुनाई

आपूर्ति किये गये 21.48 लाख कि.ग्रा. धागे में से 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने केवल 20.16 लाख कि.ग्रा. धागे का उपयोग किया जो कि झारक्राफ्ट के मानक के अनुसार एक कम्बल के लिए 2.12 कि.ग्रा. धागा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9,50,944 कम्बलों के उत्पादन के लिये पर्याप्त था। यद्यपि, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने 9,83,447 बुने हुए कम्बलों की आपूर्ति की। अत: एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस बिना ऊनी धागे की उपलब्धता के 32,503 कंबलों का उत्पादन नहीं कर सकता था और कंबल के उत्पादन पर झारक्राफ्ट का दावा संदिग्ध है।

(कंडिका 2.1.5)

लेखापरीक्षा ने प्रत्येक एसएचजी/ पीडब्लूसीएस की बुनाई क्षमता का विश्लेषण झारक्राफ्ट द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के आधार पर किया और पाया कि 13 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने जून 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान 24 अलग-अलग तिथियों पर 44,909 कम्बलों की आपूर्ति की। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इन एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास

प्रासंगिक तिथियों पर कोई धागा उपलब्ध नहीं था और इसलिए, निर्दिष्ट तारीखों पर कंबल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था। आगे, जून 2016 से दिसंबर 2017 के बीच 51 एसएचजी/ पीडब्लूसीएस ने अपनी उत्पादन क्षमता से 3.72 लाख अधिक कम्बलों की आपूर्ति की थी| अत: झारक्राफ्ट का यह दावा कि एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस द्वारा 9.83 लाख कंबल बुने गए थे, संदिग्ध है।

(कंडिका 2.1.5)

हैंडलूम की खरीद में अनियमितताएँ

अभिलेखों में पाया गया कि मई 2016 और दिसंबर 2017 के बीच झारक्राफ्ट ने चार फर्मों[21] से ₹ 2.02 करोड़ की लागत से 633 हैंडलूम और सहायक उपकरण[22] खरीदे। हालांकि अभिलेखों में यह दर्शाया गया कि इन हैंडलूम को 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस को वितरित किए गए थे, परन्तु, इन हैंडलूम की पहचान संख्या, स्थान और कार्यदशा की स्थिति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था।

लेखापरीक्षा और झारक्राफ्ट अधिकारियों (प्रबंध निदेशक सहित) द्वारा तीन क्लस्टरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2018) में पाया गया कि इन नमूना परीक्षित तीनों एसएचजी में उनके द्वारा दावा किये गये उत्पादन क्षमता का केवल 18 प्रतिशत ही उपलब्ध था और हैंडलूम की पूरी आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया।

(कंडिका 2.1.6)

उपरोक्त अवलोकनों से लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने फर्जी अभिलेखों के सहारे 8.89 लाख कम्बलों के लिये ऊनी धागे (₹ 13.56 करोड़), मजदूरी (₹ 2.39 करोड़), परिष्करण (₹ 1.36 करोड़) और परिवहन (₹ 1.10 करोड़) के लिये ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान कर दिया।

---

[21] ए.के.इंटरप्राइजेज, लातेहार; बुनकर सेवा, रांची; के.जी.एन. ट्रेडर्स, रामगढ; तथा एस. एच. ट्रेडर्स, लातेहार

[22] झारक्राफ्ट में पूर्व से मौजूद 50 हैंडलूम के अलावा

2.2 झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) का लेखापरीक्षा

जेपीएचसीएल के लेखापरीक्षा में निम्न अनियमितताएँ परिलक्षित हुए:

योग्यता नहीं रखने वाले निविदादाताओं को निर्माण अनुबंध दिया जाना

चार अयोग्य संवेदकों को ₹ 4.87 करोड़ के छः निर्माण कार्य निविदा के अहर्ता शर्तों को दरकिनार करते हुए दिया गया।

(कंडिका 2.2.1)

निमार्ण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के गुणवत्ता जाँच में कमी

कंपनी द्वारा स्वीकार किये गए गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट[23] विस्वशनीय नहीं था क्योंकि दो कार्यों से संबंधित 20 गुणवत्ता जाँच नमूना अभिलेखों के सत्यापन से यह प्रकट हुआ कि 18 ढ़लाई नमूने को ढ़लाई के दिन ही गुणवत्ता जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा हुआ दर्शाया गया और दो नमूने को ढ़लाई के चार से 21 दिन पहले भेजा हुआ दर्शाया गया जबकि इन्हें ढलाई के बाद से 24 घंटे क्योरिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही भेजा जाना अपेक्षित था।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा प्रयोगशाला को निर्गत नमूना और जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति से संबंधित कोई अभिलेख (यथा निर्गम पंजी, प्राप्ति पंजी इत्यादि) संधारित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.2)

आयकर का परिहार्य भुगतान

सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधान को उल्लंघन करते हुए भारत सरकार के योजना मद की राशि पर अर्जित ब्याज ₹ 15.33 करोड़ को अपने खाते में गलत ढ़ंग से खुद का आय मान लेने के फलस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य आयकर भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.2.3)

अुनशंसाओं का सार:

- **गृह विभाग को, निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्होने गलत ढ़ंग से अयोग्य बोली लगाने वालों को योग्य करार दिया, के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।**

---

[23] एई, जेपीएचसीएल ने गुणवता जाँच नमूनों को बीआईटी सिन्दरी को अपने संदेशवाहक के द्वारा भेजा और जाँच रिपोर्ट बीआईटी सिन्दरी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, जेपीएचसीएल को भेजा गया हालाँकि जाँच का खर्च संवेदक द्वारा वहन किया गया।

- **कंपनी को गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट में संभावित फेर-बदल की छानबीन करनी चाहिए और जिम्मेदार पाये गये अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए।**
- **कंपनी को सामग्रियों की जाँच के प्रत्येक चरण यथा कार्यस्थल पर जाँच नमूनों का संधारण, उनका प्रयोगशाला भेजना, जाँच रिपोर्ट प्राप्ति और इसके प्रलेखन का मानक निर्धारण करना चाहिए।**
- **कंपनी को परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना खाते मे जमा कर देना चाहिए या इसे सरकार को दे देना चाहिए ताकि उस आय पर आयकर भुगतान से बचा जा सके जो खुद का नहीं है।**

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका का सार नीचे दिया गया है:

✓ **झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड** ने बुशिंग के सावधिक जाँच परीक्षण में विफलता तथा इसके क्रय एवं प्रतिस्थापना में 16 माह का अनावश्यक विलम्ब के कारण ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के 75.73 एमयू उर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि उठाया।

(कंडिका 3.1)

अध्याय - 1

अध्याय-1

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

परिचय

1.1 31 मार्च 2017 को झारखण्ड में 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) ***(परिशिष्ट 1.1)***, सभी सरकारी कंपनियाँ थीं जो तालिका सं 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.1 31 मार्च 2017 को सा.क्षे.उ. की संख्या

सा.क्षे.उ. के प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	अकार्यशील सा.क्षे.उ.[1]	कुल
सरकारी कंपनियाँ[2]	21	3	24
कुल	**21**	**3**	**24**

उपरोक्त सा.क्षे.उ. में से, 31 दिसम्बर 2017 को 9 कार्यशील सा.क्षे.उ. तथा 1 अकार्यशील सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था ***(परिशिष्ट 1.2)***। इन 10 सा.क्षे.उ. के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.98 करोड़ का लाभ कमाया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,700.73 करोड़ की हानि उठाई। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इन सा.क्षे.उ. ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 4,052.92 करोड़ का आवर्त दर्ज किया।

इन 10 सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार के विनियोग (अंश एवं ऋण) पर 18.34 प्रतिशत औसत नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया। इसके मुकाबले, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के अवधि में राज्य सरकार से ली गई ऋण का औसत लागत दर 6.87 प्रतिशत थी। इस प्रकार, 10 सा.क्षे.उ. जिन्होंने अपने विगत तीन वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था, में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 2,092.21 करोड़[3] की हानि हुई। शेष 14 सा.क्षे.उ. जिन्होंने अपने लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया, की हानि, यदि हो तो उसका आकलन नहीं किया जा सका।

---

[1] वे सा.क्षे.उ. जिसमें विगत 3 वर्षों से अधिक अवधि में कोई परिचालन क्रियाकलाप नहीं थी

[2] कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45), 139(5) और 139(7) में संदर्भित कंपनियाँ

[3] सा.क्षे.उ. के अभिलेख के आधार पर

31 मार्च 2017 को, 21 कार्यशील सा.क्षे.उ. में 5,473 कर्मचारी थे और तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. में कोई कर्मचारी नहीं[4] था। इन तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. के कंपनियों में पिछले तीन वर्षों से अधिक अवधि में कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ और इसमें 31 मार्च 2017 को ₹ 35.75 करोड़ (अंश: ₹ 0.78 करोड़ और ऋण: ₹ 34.97 करोड़) निवेशित था।

अनुशंसा

चूँकि हानि वहन करने वाले एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के अस्तित्व लगातार बने रहने से राजकोष से काफी राशि की बर्बादी होती है, राज्य सरकार (i) सभी हानि वहन करने वाले सा.क्षे.उ. के क्रियाकलाप की समीक्षा कर सकती है, और (ii) अकार्यशील सा.क्षे.उ. के समापन की संभावना की जाँच कर सकती है।

उत्तरादायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 द्वारा अधिशासित होते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) सनदी लेखाकारों (सीए) की नियुक्ति वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में करती है और स्वयं इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा करती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाता है और सरकार इसे सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की प्रावधानों के तहत विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 झारखण्ड सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के मामलों पर नियंत्रण रखा जाता है और इनके मुख्य कार्यपालक एव निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

झारखण्ड सरकार की हिस्सेदारी

1.4 सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों के अर्न्तगत आती है, यथा अंशपूँजी एवं ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान एवं अर्थसहाय्थ्य के रूप में विशिष्ट बजटीय सहायता एवं सा.क्षे.उ. द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति।

[4] होल्डिंग कंपनी (झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) के कर्मचारी 3 अकार्यशील कंपनियाँ के कार्यो की देखभाल करती है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को 24 राज्य सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य के द्वारा ₹ 10,753.32[5] करोड़ के निवेश (अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था जिसका विवरण नीचे तालिका सं. 1.2 में दिया गया है। (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है)।

तालिका सं. 1.2: सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2017 को कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. के प्रकार	अन्तिमीकृत लेखों की विवरणी	अंश			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य सरकार	अन्य[6]	कुल	राज्य सरकार	अन्य[7]	कुल	
कार्यशील सा.क्षे.उ.	2014-15 से 2016-17[8]	100.54	6.30	106.84	9,382.30	324.43	9,706.73	9,813.57
	2014-15 से पूर्व	186.30	0.00	186.30	717.61	0.09	717.70	904.00
उप कुल		**286.84**	**6.30**	**293.14**	**10,099.91**	**324.52**	**10,424.43**	**10,717.57**
अकार्यशील सा.क्षे.उ	2014-15 to 2016-17	0.0	0.05	0.05	19.45	0.00	19.45	19.50
	2014-15 से पूर्व	0.00	0.73	0.73	15.52	0.00	15.52	16.25
उप कुल		**0.00**	**0.78**	**0.78**	**34.97**	**0.00**	**34.97**	**35.75**
कुल		**286.84**	**7.08**	**293.92**	**10,134.88**	**324.52**	**10,459.40**	**10,753.32**

स्रोत: लेखापरीक्षित लेखाओं/सा.क्षे.उ. के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

1.6 31 मार्च 2017 को राज्य सा.क्षे.उ. में प्रक्षेत्रवार निवेशों की सार तालिका सं. 1.3 में दी गई है।

---

[5] सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के आधार पर

[6] राज्य सरकार के दो हाल्डिंग कंपनियों के द्वारा उनके छः सहायक कंपनियों में ₹ 7.08 करोड़ के निवेश शामिल

[7] केन्द्र सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण शामिल

[8] न्यूनतम 2014-15 तक की अन्तिमीकृत लेखें

तालिका सं. 1.3: सा.क्षे.उ. में प्रक्षेत्रवार निवेश

प्रक्षेत्र का नाम	कार्यशील सा.क्षे.उ.		अकार्यशील सा.क्षे.उ.		कुल	कुल निवेश (₹ करोड़ में)	अंतिम 5 वर्षों में (₹ करोड़ में)
	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना			
ऊर्जा	3	1	1	1	6	10,524.48	9,742.47
सेवा	1	5	0	0	6	82.46	22.00
वित्त	0	1	0	0	1	3.34	3.34
विनिर्माण	1	1	0	0	2	15.60	3.97
अन्य	3	4	0	0	7	127.44	56.64
कुल	**8**	**12**	**1**	**1**	**22**	**10,753.32**	**9,828.42**

स्रोत: लेखापरीक्षित लेखाओं/सा.क्षे.उ. के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार के निवेश का जोर मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र की तीन कंपनियों[9] में था। ऊर्जा क्षेत्र के कंपनियों[10] में राज्य सरकार द्वारा कुल निवेश ₹ 10,196.57 करोड़ (₹ 113.40 करोड़ अंश और ₹ 10,083.17 करोड़ ऋण) था जिसमें ₹ 9,425.67 करोड़ (₹ 8.40 करोड़ अंश और ₹ 9,417.27 करोड़ ऋण) 2012-17 के दौरान किया गया।

1.7 वित्त लेखें और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों में सरकार के अंशों एवं ऋणों में दर्शाये गए आकड़ों में अन्तर को नीचे तालिका सं. 1.4 में दिया गया है।

तालिका सं. 1.4: 31 मार्च 2017 को अंश एवं लंबित ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश	वित्त लेखों के अनुसार	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार[11]	अन्तर
अंश	72.80	286.84	214.04
ऋण	9,476	10,134.88	658.88

स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा दी गई सूचना तथा वित्त लेखें, झारखण्ड सरकार 2016-2017 के अनुसार

---

[9] झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड।

[10] सा.क्षे.उ. के निवेश का विवरण परिशिष्ट 1.1 के क्रम संख्या अ 11 से अ 15 एवं ब 1 से ब 3 में दिया गया है।

[11] सा.क्षे.उ. के सितम्बर 2017 तक अन्तिमीकृत अद्यतन लेखें के अनुसार झारखण्ड का वर्ष 2016-17 के लिए वित्त लेखों की अन्तिमीकरण के समय पर।

अनुशंसा

वित्त विभाग, संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा सा.क्षे.उ., समयवद्ध तरीके से राशि में अन्तर का समाशोधन करने के लिए महालेखाकर (ए एवं ई) के साथ मिलकर शीघ्र कदम उठायें।

1.8 सा.क्षे.उ. में सरकार के हिस्सेदारी की स्थिति तालिका सं. 1.5 में वर्णित है।

तालिका सं. 1.5: सा.क्षे.उ. में सरकार के हिस्सेदारी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
अकार्यशील सा.क्षे.उ. जहाँ कोई व्यय नहीं है	3[12]	0.00
सा.क्षे.उ. में झारखण्ड सरकार के लंबित ऋण जिस पर ऋण का पुनर्भुगतान या ब्याज का भुगतान विगत तीन वर्षों से नहीं किया गया	5[13]	10,033.17

स्रोत: सा.क्षे.उ. के द्वारा दी गई सूचना एवं वित्त लेखा 2016-17

अनुशंसा

चूँकि पाँच सा.क्षे.उ., जिन्होंने अभी तक ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया है, के द्वारा ऋण के वापसी की संभावना नगण्य है, अगर अस्तित्वहीन नहीं भी है; इसलिए राज्य सरकार को पुराने ऋणों को अंश पूँजी में परिवर्तित करने या उसकी माफी पर विचार करना चाहिए। इन कंपनियों को अगर भविष्य में कोई भुगतान करना हो तो उसे अनुदान के रूप में देना चाहिए जब तक कि इनमें से कम से कम कुछ सा.क्षे.उ. को बन्द करने की समीक्षा नहीं हो जाती।

लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकाये

1.9 कंपनी अधिनियम 2013 के अुनसार कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक वित्तीय विवरणी का अन्तिमीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर अर्थात सितम्बर के अन्त तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है, जिसमें संबंधित कंपनी का प्रत्येक अधिकारी को, जो ऐसा चूक करता है, एक साल तक के करावास की सजा या न्यूनतम पचास हजार का जुर्माना जो बढ़ाकर ₹ पाँच लाख तक किया जा सकता है, या दोनों हो सकता है।

[12] परिशिष्ट 1.1 के क्र. सं. ब 1 से ब 3 तक

[13] परिशिष्ट 1.1 के क्र.स. अ 11, अ 14, अ 15, ब 1 एवं ब 2

31 दिसम्बर 2017 को 19 कार्यशील कंपनियों के लेखें का बकाया 8 साल की अवधि तक था जिसे ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है। लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के फलस्वरूप एक निर्धारित समय के बाद महत्वपूर्ण अभिलेख (रिकार्ड) अनुपलब्ध हो जाते हैं या नष्ट हो जाते है; जिसके कारण तथ्यों की गलत प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरूपयोग की जोखिम बनी रहती है।

कुल 21 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से केवल 2 सा.क्षे.उ.[14] ने 2016-17 के लेखें का अन्तिमीकरण किया और बाकी 19 सा.क्षे.उ. के 54 लेखें[15] बकाया है। लेखों के बकाये की अवधि इन 19 सा.क्षे.उ. में से सात सा.क्षे.उ. में एक वर्ष, 10 सा.क्षे.उ. में दो से पाँच वर्ष और दो सा.क्षे.उ. में पाँच वर्षों से अधिक था जिसे ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है।

19 कार्यशील कंपनियाँ जिनके लेखें बकाया हैं, के निदेशक जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सजा पाने का हकदार हैं, का विवरण ***परिशिष्ट 1.4 (अ)*** और ***1.4 (ब)*** में दिया गया है।

1.10 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को सभी तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखें बकाए थें जो तालिका सं. 1.6 में वर्णित है।

तालिका सं. 1.6: अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों का बकाया

वर्ष	अकार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लिए लेखें बकाये में	वर्षों की संख्या जिसके लेखें बकाये थे
2014-15	3	16	2008-09 से 2014-15	3 से 7
2015-16	3	19	2008-09 से 2015-16	4 से 8
2016-17	3	15	2009-10 से 2016-17	1 से 8

1.11 राज्य सरकार ने 12 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹ 2,659.56 करोड़ {अंश ₹ 78.25 करोड़ (नौ सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 1,273.80 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.), अन्य (सहाय्य एवं राजस्व अनुदान) ₹ 1,307.51 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.)} का बजटीय सहायता उन वर्षों में प्रदान किया था, जिन वर्षों में उनके लेखें का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, जो परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है। इसमें से, ₹ 208.22 करोड़ की बजटीय सहायता उन छः कार्यशील सा.क्षे.उ. को दिया गया जिनके लेखें तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाये थे, जिसमें से

[14] परिशिष्ट 1.1 का क्र.सं अ 6, अ 9

[15] एक लेखा प्रति वर्ष की दर पर

₹ 36.00 करोड़ 2016-17 के अवधि के दौरान 2 सा.क्षे.उ.[16] को दिया गया था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने एक अकार्यशील सा.क्षे.उ. (कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड) को ₹ 15.52 करोड़ का बजटीय सहायता ऋण के रूप मे उस अवधि के दौरान दिया था, जिसमें उसके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाया गया है। राज्य सरकार किस आधार पर उस कंपनी से मूलधन की वापसी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की आशा रखती है यह स्पष्ट नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा बकाया लेखें वाले उपर्युक्त सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता के विस्तार का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार के पास इन पाँच सा.क्षे.उ. के वित्तीय सुदृढ़ता को आकलित करने का कोई आधार नहीं था। उक्त तथ्य इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि जिन पाँच सा.क्षे.उ. द्वारा राजकीय ऋण प्राप्त किया गया था उनके द्वारा ब्याज का भुगतान विगत तीन वर्षों के दौरान नहीं किया गया था।

अनुशंसाएँ

1. **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा.क्षे.उ. अपने लेखों को अद्यतन करने हेतु शीघ्र कदम उठाये, ताकि इन सा.क्षे.उ. के निदेशक कपंनी अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन बंद करे।**

2. **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार उन सा.क्षे.उ. को नहीं किया जाए जिनके लेखें अद्यतन नहीं हैं।**

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखें के अनुसार सा.क्षे.उ. का कार्य निष्पादन

1.12 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान अपने लेखें का अन्तिम रूप देने वाले नौ कार्यशील सा.क्षे.उ.[17] ***(परिशिष्ट 1.6)*** के कार्य निष्पादन के आकलन हेतू उपयोग किये गये प्रमुख वित्तीय अनुपात तालिका संख्या 1.7 में दिये गये हैं।

---

[16] झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

[17] वित्तीय अनुपात अकार्यशील सा.क्षे.उ. और वे सा.क्षे.उ. जिसके लेखा अद्यतन नहीं है की गणना नहीं की जा सकती है।

तालिका सं. 1.7: कार्यशील सा.क्षे.उ. के प्रमुख मापदण्ड					
विवरण	मुख्य मापदण्ड (प्रतिशत में)	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
लाभ अर्जित करने वाली सा.क्षे.उ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[18]	46.90	10.26	22.21	26.45
	निवेश पर प्रतिफल[19]	46.90	10.26	22.21	26.45
	अंश पर प्रतिफल[20]	18.55	6.97	15.35	13.62
हानि वहन करने वाली सा.क्षे.उ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-69.93	-26.31	--	-48.12
	निवेश पर प्रतिफल	-69.93	-26.31	--	-48.12
	अंश पर प्रतिफल	8,277.70	--*	--	-4138.85
कुल सा.क्षे.उ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-51.54	-25.49	22.21	-18.34
	निवेश पर प्रतिफल	-51.54	-25.49	22.21	-18.34
	अंश पर प्रतिफल	-360.36	-1256.80	15.35	-533.94
उधारी की लागत		7.22	6.63	6.76	6.87

स्रोत: सा.क्षे.उ. के अन्तिमीकृत लेखें के आधार पर उपलब्ध सूचना
*अंशधारियों की निधि का नकारात्मक शेष के कारण अंश पर प्रतिफल की गणना नहीं हो सकता है।

1.13 लाभ में प्रमुख योगदान देने वाले झारखण्ड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़) और झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 6.02 करोड़) थे। इन कंपनियों का निवेश पर प्रतिफल 2014-17 के दौरान 21.02 प्रतिशत से 249.47 प्रतिशत के बीच था। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, अधिक हानि वहन करने वाले सा.क्षे.उ में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,598.83 करोड़) और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 97.24 करोड़) था।

1.14 राज्य सरकार ने सा.क्षे.उ. के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। फलस्वरूप, यद्यपि अन्तिमीकृत लेखों के आधार पर पाँच सा.क्षे.उ.[21] जिसमें सरकारी अंश ₹ 128.11 करोड़[22] था, कुल ₹ 22.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया, परन्तु किसी भी कंपनी ने लाभांश की घोषणा नहीं की।

---

[18] नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) = (लाभांश ब्याज और कर के पहले शुद्ध लाभ/हानि)/ नियोजित पूँजी जहाँ नियोजित पूँजी = निवेश - स्थगित राजस्व व्यय (डीआरई)। चूँकि 2014-17 के दौरान सा.क्षे.उ. में कोई डीआरई नहीं थे इसलिए आरओसीई एवं आरओआई समान थे।

[19] निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) (ब्याज कर लाभांश के पहले शुद्ध लाभ)/निवेश

[20] अंश पर प्रतिफल (आरओई) = (कर के बाद शुद्ध लाभ - पूर्वाधिकार लाभांश)/अंशधारियों का निधि

[21] झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैन्डीक्राफ्ट डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड और झारखण्ड इन्ड्रस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड

[22] अंतिम अन्तिमीकृत लेखें के आधार पर अंशधारीयों का निधि

अनुशंसा

वित्त विभाग लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में नियोजित अंश पूँजी पर विनिर्दिष्ट लाभांश के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (अंश पूँजी का 5 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) के परिपाटी के आधार पर लाभांश नीति तैयार कर सकती है।

1.15 कंपनी अधिनियम 2013 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक कपंनी के निदेशक मण्डल की एक वर्ष में कम से कम चार वार्षिक बैठकें हों। हालांकि, यह अवलोकन किया गया की 21 कार्यशील सा.क्षे.उ में से 17 सा.क्षे.उ. ने 2014-17 के दौरान चार से कम बैठकों का आयोजन किया जिसका विवरण तालिका सं. 1.8 में दिया गया है।

तालिका सं. 1.8: सा.क्षे.उ. जिनके द्वारा बैठकों की आयोजन में कमी हुई

वर्ष	बैठकों के आयोजन में कमी की संख्या	सा.क्षे.उ की संख्या	सा.क्षे.उ के नाम परिशिष्ट 1.1 में क्रम संख्या
2014-15	4	04	अ 3, अ 5, अ 19, अ 20
	3	02	अ 18, अ 21
	2	02	अ 10, अ 16
	1	07	अ 1, अ 2, अ 4, अ 6, अ 7, अ 9, अ 17
2015-16	4	02	अ 5, अ 19
	3	03	अ 3, अ 4, अ 20
	2	05	अ 1, अ 7, अ 8, अ 11, अ 17
	1	05	अ 2, अ 9, अ 10, अ 16, अ 21
2016-17	3	07	अ 1, अ 3, अ 4, अ 5, अ 7, अ 17, अ 19
	2	03	अ 8, अ 16, अ 18
	1	05	अ 2, अ 9, अ 11, अ 20, अ 21

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.16 सोलह[23] कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 34 अंकेक्षित लेखों को वर्ष 2016-17[24] के दौरान महालेखाकर को प्रेषित किया, जिसमें से 12 कंपनियों के 27 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में

[23] परिशिष्ट 1.1 का क्रं सं. अ 2, अ 5, अ 6, अ 7, अ 8, अ 9, अ 10, अ 11, अ 12, अ 13, अ 14, अ 15, अ 16, अ 17, अ 22 और ब 3

[24] अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 के अवधि के दौरान

सुधार की काफी आवश्यकता है। वैधानिक लेखापरीक्षक और सीएजी के टिप्पणियों की कुल मौद्रिक मूल्य तालिका सं. 1.9 में दी गई है।

तालिका सं. 1.9: कार्यशील कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	0.94	2	10.41
2.	लाभ में कमी	3	6.65	7	9.46	6	28.47
3.	हानि में वृद्धि	1	2.10	7	14.68	8	1,506.80
4.	हानि में कमी	7	267.99	5	452.46	7	409.04
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	5	-	9	-	16	-

वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 12 कार्यशील कंपनियों द्वारा अन्तिमीकृत 21 लेखाओं पर दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिये। कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि सात[25] कंपनियों के 11 लेखाओं पर 36 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

अनुशंसा

वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को तुरन्त उन 12 कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ वैधानिक लेखापरीक्षकों ने दोषपूर्ण प्रमाण-पत्र/या राय दिए थे

लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ

1.17 पाँच लेखापरीक्षा कण्डिकाओं को कंपनी प्रबंधन एवं संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को, चार सप्ताह के अन्दर उत्तर उपलब्ध कराने के आग्रह के साथ जारी किए गए थे (जुलाई 2017 से मार्च 2018)। पाँच कण्डिकाओं में से चार कण्डिकाओं पर विभाग से जबाव अप्राप्त था (जून 2018)।

[25] परिशिष्ट 1.1 के क्र.सं. अ 10 से अ 15 तक और अ 17

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उत्तरवर्ती क्रिया

उत्तर प्रतिक्षित

1.18 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवदेन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को प्रदर्शित करता है। अत: यह आवश्यक है कि इनपर कार्यपालिका की उचित एवं ससमय प्रतिक्रिया प्राप्त हो। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया (नबंवर 2015) कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल कण्डिकाओं/ समिक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ विधायिका में प्रस्तुती के तीन महीने के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बगैर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणी की स्थिति तालिका सं. 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1.10: अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियां (30 जून 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की वर्ष (सा.क्षे.उ.)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं कण्डिकाओं की संख्या		कुल निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिका जिन पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां अप्राप्त थी	
		पीए	कंडिकाएँ	पीए	कंडिकाएँ
2005-06	4 अप्रैल 2007	1	3	-	1
2006-07	26 मार्च 2008	1	6	1	5
2007-08	10 जुलाई 2009[26]	1	8	1	6
2008-09	13 अगस्त 2010	1	4	1	2
2009-10	29 अगस्त 2011	1	6	1	1
2010-11	06 सितम्बर 2012	1	3	-	-
2011-12	27 जुलाई 2013	1	5	-	3
2012-13	05 मार्च 2014	1	5	-	2
2013-14	26 मार्च 2015	1	6	-	3
2014-15	15 मार्च 2016	2	5	-	1
2015-16	12 अगस्त 2017	2	6	-	5
कुल		**13**	**57**	**4**	**29**

अनुशंसा

संबंधित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (नवम्बर 2015) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया ससमय प्रेषित करनी चाहिए।

[26] संसद में प्रस्तुत

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श

1.19 30 जून 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (सा.क्षे.उ.) में उजागर एवं कोपू द्वारा विचार विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कण्डिकाओं की स्थिति को तालिका सं. 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 1.11: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर निष्पादन लेखापरीक्षा/कण्डिका जिन पर परिचर्चा की गई (30 जून 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा/कण्डिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कण्डिकाएँ जिन पर चर्चा हुई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2004-05	2	1	2	1
2005-06	1	3	1	2
2006-07	1	6	-	1
2007-08	1	8	-	2
2008-09	1	4	-	2
2009-10	1	6	-	5
2010-11	1	3	1	3
2011-12	1	5	1	2
2012-13	1	5	1	3
2013-14	1	6	1	3
2014-15	2	5	2	4
2015-16	2	6	2	1
कुल	**15**	**58**	**11**	**29**

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.20 अगस्त 2006 और जनवरी 2017 की अवधि के बीच में राज्य विधायिका में प्रस्तुत कोपू[27] के 10 प्रतिवेदनों में शामिल 15 कण्डिकाओं से संबंधित कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) अप्राप्त (जून 2018) थे जैसा तालिका संख्या 1.12 में दर्शाया गया है। ये कोपू प्रतिवेदन 2002-03 से 2005-06 और 2010-11 के अवधि के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवदनों से संबंधित है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 एवं वर्ष 2011-12 और उसके आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवदनों पर कोपू का प्रतिवदेन अभी तक (जून 2018) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[27] वर्ष 2002-03 से 2005-06 और 2010-11 के लिए सीएजी के प्रतिवेदन में दिखाये गये ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार से संबंधित

तालिका संख्या 1.12: कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	**कोपू प्रतिवदेन की कुल संख्या**	**कोपू प्रतिवदेन में अनुशंसा की कुल संख्या**	**अनुशंसाएँ जिन पर कार्रवाई टिप्पणियाँ अप्राप्त था**
2002-03	1	1	1
2003-04	1	1	1
2004-05	4	5	2
2005-06	3	10	10
2010-11	1	1	1
कुल	**10**	**18**	**15**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित आंकड़े

अनुशंसा

राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए की कोपू प्रतिवेदनों पर एटीएन प्रस्तुत करने के मामले में शीघ्र अनुपालन हो।

राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सा.क्षे.उ. की पुन: संरचना

1.21 15 नवम्बर 2000 से पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 12 सा.क्षे.उ. की सम्पतियों एवं दायित्वों के बँटवारे का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है। हालांकि, दिसम्बर 2017 तक इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा.क्षे.उ.[28] के संबंध में ही पूरा किया गया था।

अनुशंसा

चूँकि राज्य के पुनर्गठन के बाद लगभग दो दशक बीत चूके हैं, राज्य सरकार को बिहार सरकार के साथ मिलकर उन सात सा.क्षे.उ. के सम्पतियों एवं दायित्वों के त्वरित बँटवारे हेतू आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें 15 नवम्बर 2000 तक ₹ 132.36 करोड़ का सरकारी निवेश था।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र मे सुधार

1.22 राज्य बिजली वितरण कंपनियों के परिचालन एवं वित्तीय कुशलता में सुधार के उदेश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा वितरण कंपनियों में वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का शुभारंभ किया (नवम्बर 2015)।

[28] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट वारहाउसिंग कॉर्पोरेशन और बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

वित्तीय और परिचालन लक्ष्य निर्धारण के उपरान्त इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) किया गया।

एमओयू के अनुसार, निर्धारित प्रमुख वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के संबंध में हासिल की गई प्रगति एवं उपलब्धि को ***परिशिष्ट 1.8*** में वर्णित किया गया है।

एमओयू के अनुसार, झारखण्ड सरकार द्वारा जेबीवीएनएल का बकाया ऋण ₹ 6,136.37 करोड़ को 2015-16 के दौरान अनुदान देकर ले लेना था। लेकिन झारखण्ड सरकार ने इस राशि को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जिसके फलस्वरूप कंपनी को ₹ 797.73 करोड़[29] का वार्षिक ब्याज दायित्व का निर्माण हुआ जो कि एमओयू का उल्लघंन था। इसके अलावा झारखण्ड सरकार द्वारा कंपनी को 2016-17 के लिए ₹ 292 करोड़ का अनुदान देय था जो अभी तक (जुलाई 2018) नहीं दिया गया है।

जहाँ तक जेबीवीएनएल के लक्ष्यों का संबंध है, यह वित्तीय लक्ष्यों जैसे तकनीकी एवं व्यावसायिक (एटी एडं सी) हानि, विपत्रीकरण कुशलता और संग्रहण कुशलता को प्राप्त करने में विफल रही। परिचालन लक्ष्यों के मामले में जेबीवीएनएल की स्थिति और भी असंतोषजनक था। यह वितरण ट्रांसफार्मर मिट्रिरिंग (ग्रामीण), ग्रामीण फिडर का अंकेक्षण, स्मार्ट मिटिरिंग और वैसे घरों में जहाँ विद्युत संबंध नहीं था, विद्युत पहुँचाने में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

---

[29] 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर

अध्याय - 2

अध्याय-2

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा

2.1 झारक्राफ्ट द्वारा ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान

झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने 8.89 लाख कंबल के लिये ऊनी धागे, मजदूरी, परिष्करण और परिवहन से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया।

श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग (श्रम विभाग), झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) को, जो कि एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ₹ 29.48 करोड़ मूल्य के 9,82,717 ऊनी कंबल[1] की आपूर्ति का आदेश दिया (नवंबर 2016 और मई 2017)।

तदनुसार, झारक्राफ्ट ने कुल ₹ 15.54 करोड़ मूल्य के धागे की आपूर्ति के लिए एनएएन वूलन मिल्स, पानीपत (18.64 लाख किलोग्राम) और उन्नति इंटरनेशनल, पानीपत (2.94 लाख किग्रा) को आदेश[2] (मई 2016 से सितंबर 2017) दिया। राज्य के आठ जिलों में स्थित 62 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) जिनके पास ऊनी कंबल बुनाई की सुविधा थी, को धागे वितरित किया जाना था। एसएचजी /पीडब्ल्यूसीएस की निगरानी 27 क्लस्टर प्रबंधकों द्वारा की जाती है जो उप महाप्रबंधक (डीजीएम), हैंडलूम, झारक्राफ्ट को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद अर्ध-परिष्कृत कंबल नूतन इंडस्ट्रीज, पानीपत द्वारा धोए एवं परिष्कृत किये जाने थे। झारखण्ड के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने

---

[1] ₹ 300 प्रति कंबल की दर से, प्रत्येक कम्बल की माप 60" x 90" और वजन - 2 किलो

[2] राष्ट्रीय हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी) को 15.34 लाख किग्रा धागे की आपूर्ति का आदेश दिया गया, जो भारत सरकार की धागा आपूर्ति योजना अंतर्गत इसके सूचीबद्ध विक्रेताओं से उनके द्वारा निविदित दर पर धागा खरीद पर सब्सिडी प्रदान करता है। झारक्राफ्ट द्वारा एनएचडीसी को दिए गए आपूर्ति आदेशों में या तो अधिमान्य आपूर्तिकर्ता (एनएएन/उन्नति) के नाम का उल्लेख या आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य का उल्लेख किया जाता था। विक्रेताओं को धागों की आपूर्ति सीधे झारक्राफ्ट को करनी थी तथा भुगतान एनएचडीसी के माध्यम से किया जाना था (सब्सिडी में कटौती के बाद, सीधे एनएचडीसी द्वारा विक्रेताओ को भुगतान किया जाना था)। इसके अलावा, झारक्राफ्ट द्वारा सब्सिडी प्राप्त किए बिना सीधे एनएएन से 6.24 लाख कि.ग्रा.धागों की खरीद की गई।

वाले लोगों को कम्बल वितरण के लिए सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची द्वारा तैयार कंबल को परिवहन किया जाना था। उपरोक्त सभी फर्म नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सूचीबद्ध (धागे की आपूर्ति के लिए) थे या निविदा के माध्यम से झारक्राफ्ट द्वारा चुने गए थे। झारक्राफ्ट ने ₹ 19.39 करोड़[3] का व्यय जनवरी 2018[4] तक किया।

लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि अधिकृत लेन-देन एक कपोल कल्पित कहानी थी और झारक्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा कहीं और से निम्न कोटि के कंबल खरीद कर उपायुक्तों के माध्यम से 24 जिलों में बीपीएल श्रेणी के लाभुकों में वितरित किया गया था। इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाले लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे वर्णित हैं:

2.1.1 धागों की खरीद में गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने में विफलता

जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, ऐसा कोई साक्ष्य यह दर्शाने के लिए नहीं था कि एसएचजी/पीडब्ल्यूसीएस को कथित रूप से आपूर्ति की गई ऊनी धागा तय मात्रा और गुणवत्ता के अनुरूप थी।

✓ प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट ने श्रम विभाग को आश्वस्त किया था (जून 2017) कि रांची के इरबा में स्थित झारक्राफ्ट के केन्द्रीय भंडार में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पांच तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, क्लस्टर में केवल क्लस्टर प्रबंधक थे, जो गैर-तकनीकी व्यक्ति थे। तदनुसार, आपूर्ति आदेश में यह निर्धारित था कि 15.24 लाख किग्रा धागा की आपूर्ति केंद्रीय भंडार में किया जाना था। इसके बावजूद, अभिलेखों में बिना कारण बताये[5], धागों को पानीपत से सीधे झारक्राफ्ट के 27 क्लस्टरों में

---

[3] विभाग द्वारा ₹ 6.85 करोड़ प्रदान किए गए (जुलाई 2017), प्रबंध निदेशक के आदेशों के तहत ₹ 4.54 करोड़ स्वयं के स्रोत से तथा ₹ 8.00 करोड़ रुपए सेरीकल्चर योजना के तहत उपलब्ध धनराशि से विचलन (जुलाई 2017 और नवंबर 2017) कर किया गया, जिसे अभी तक प्रतिपूर्ति किया जाना बाकी है।

[4] यार्न के लिए ₹ 14.53 करोड़, पर्यवेक्षण शुल्क सहित बुनकरों के मजदूरी के लिए ₹ 2.39 करोड़, कम्बल के परिष्करण के लिए ₹ 1.36 करोड़ और परिवहन के लिए ₹ 1.10 करोड़

[5] तथापि, डीजीएम, हैंडलूम, जो कि कंबल उत्पादन के परिचालन प्रमुख के रूप में उत्तरदायी थे, आपूर्ति आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में या तकनीकी कर्मियों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी थे

आपूर्ति (जून 2106 से अक्टूबर 2017) किया गया दर्शाया[6] गया था। पुनः, अभिलेखों में बिना कारण बताये, अतिरिक्त आपूर्ति आदेशों[7] में विक्रेताओं को धागों की आपूर्ति सीधे क्लस्टर में करना निर्धारित किया गया था। चूंकि क्लस्टरों में गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए क्लस्टर को सीधे आपूर्ति की गई धागा की गुणवत्ता की जाँच नहीं की जा सकती थी।

✓ इसके अलावा, झारक्राफ्ट मुख्यालय में धागा की प्राप्ति का भंडार लेखा केवल बिक्री चालानों[8] पर आधारित था और यह साबित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि विपत्र में उल्लिखित वस्तुओं और मात्राओं को वास्तव में पहुँचाया गया था।

2.1.2 ट्रांसपोर्टरों की अनियमित नियुक्तियां

ट्रांसपोर्टरों की गैर-प्रतिस्पर्धी और अनधिकृत नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ

जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 में उल्लिखित है, झारक्राफ्ट ने सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची को ट्रांसपोर्टर के रूप में चुना (मार्च 2017)। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, डीजीएम हैंडलूम ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने गए दो फर्मों के बजाय चार अन्य फर्मों जैसे कि हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं, पानीपत; हरियाणा ट्रांसपोर्ट कं, पानीपत; हरियाणा गोल्डन रोड लाइन, करनाल और श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कं, करनाल को ऊनी धागे/अर्द्ध-परिष्कृत कम्बल/तैयार कम्बलों के परिवहन के लिए नियुक्त किया। इन चार फर्मों में से किसी ने भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और इन अयोग्य फर्मों का चयन डीजीएम हैंडलूम ने कैसे और क्यों किया इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, भुगतान के समय प्रबंध निदेशक ने डीजीएम हैंडलूम से स्पष्टीकरण माँगा, जिसने उस वक्त आपात स्थिति और विभिन्न उपायुक्तों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कंबल की आपूर्ति करने के दबाव के कारण अनाधिकृत और अनियमित चयन को उचित ठहराया। फलत:, प्रबंध निदेशक ने ₹ 1.10 करोड़ (तालिका 2.1) के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के दौरान)।

---

[6] झारक्राफ्ट मुख्यालय में संधारित भंडार खाते में, आपूर्तिकर्ता तथा परिवाहकों के चालान में

[7] 6.34 लाख कि.ग्रा.के लिए सहायक महाप्रबंधक, हैंडलूम या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक द्वारा जारी।

[8] एनएचडीसी या विक्रेता द्वारा जारी (उन मामलों में जहां खरीदारी एनएचडीसी के माध्यम से नहीं की गई थी)।

हालांकि, डीजीएम हैंडलूम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बाद में सोचकर दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं था जो साबित करता हो की आपात स्थिति या उपायुक्तों के अनुचित दबाव के कारण ऐसा किया गया था। इसलिए प्रबंध निदेशक द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिया गया अनुमोदन अनियमित था।

तालिका 2.1: परिवहन शुल्क राशि की विवरणी

(₹ लाख में)

क्रं. सं.	परिवाहक का नाम	बकाया परिवहन शुल्क	भुगतान किया गया परिवहन शुल्क	बकाया परिवहन शुल्क[9]
1	हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं., पानीपत	207.83	55.56	152.27
2	श्री गणेश परिवहन कं., करनाल	60.90	33.21	27.69
3	हरियाणा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, पानीपत	33.59	शून्य	33.59
4	हरियाणा गोल्डन रोड लाइन्स, करनाल	21.47	21.47	शून्य
	कुल	**323.79**	**110.24**	**213.55**

2.1.3 परिवहन चालान और रोड परमिट में विसंगतियां

जनवरी 2017 से दिसंबर 2017[10] की अवधि के लिए अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित को इंगित करते हैं:

- 143 वाहनों ने पानीपत से 18.84 लाख किलोग्राम धागों को 27 क्लस्टरों तक ले जाने के लिए 319 यात्राएं कीं;
- 105 वाहनों ने 27 क्लस्टरों से पानीपत तक 8.50 लाख अर्ध-परिष्कृत कंबल ले जाने के लिए 264 यात्राएं की;

---

[9] लेखापरीक्षा अवलोकनों के बाद, विकास आयुक्त, झारखण्ड ने इस योजना के तहत आगे के सभी भुगतान को रोकने का आदेश दिया (फरवरी 2018)।

[10] लेखापरीक्षा क्षेत्र इस अवधि तक सीमित था, न कि पहले या बाद की अवधि के लिए

- 65 वाहनों ने 6.75 लाख तैयार कम्बलों को बीपीएल लाभुकों के बीच वितरण करने के लिए पानीपत से झारखण्ड के सभी 24 जिलों में पहुँचाने के लिए 127 यात्राएं की।

लेखापरीक्षा में परिवहन चालानों[11] के नमूना जाँच में तथा उनकी वाणिज्य कर विभाग (सीटीडी)[12] द्वारा जारी रोड परमिट के साथ मिलान करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

अल्पावधि में वाहनों के परिचालन से संकेत संबंधित अभिलेखों से मिलता है कि कच्चे माल और अर्ध-निर्मित कम्बलों का परिवहन असंभव था।

✓ 27 जुलाई 2017 से 10 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान, 12 वाहनों[13] द्वारा पानीपत से झारखण्ड की प्रथम यात्रा के दौरान महज एक से पांच दिनों के अन्दर 2,366 किमी से 3,134 किमी की दूरी, दूसरी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व दो बार वापसी यात्रा तय किये जाने को अभिलेखित किया गया था ***(परिशिष्ट 2.1.1)***। इससे वाहनों की यात्रा गति प्रति घंटा[14] 48 किमी से 261 किमी प्रति घंटा आती है, जो कि भारत में ट्रकों की औसत यात्रा गति[15] (20-40 किमी प्रति घंटा) से काफी अधिक था। अतः यह स्पष्ट है कि ये यात्राएँ वास्तव में नहीं हुई थी।

✓ आठ वाहनों के सन्दर्भ में, जिनके द्वारा अवधि 27 जून 2017 से 30 जून 2017 के दौरान धागों[16] के परिवहन किये जाने का दावा किया गया था, झारक्राफ्ट में उपलब्ध सम्बंधित परिवहन चालानों में उल्लिखित वाहन संख्या वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी रोड परमिट में उल्लिखित वाहन संख्या से मेल नहीं खाता था ***(परिशिष्ट 2.1.2)***। इससे यह स्पष्ट है कि रोड परमिट का उपयोग झारक्राफ्ट को आपूर्ति किए जाने वाले धागों के परिवहन के लिए नहीं किया गया था जैसा कि दावा किया गया।

---

[11] सामान क्लस्टर को पहुँचाया गया, लेकिन चालान झारक्राफ्ट मुख्यालय में उपलब्ध

[12] 28 अगस्त 2014 से 1 जुलाई 2017 के बीच (जब जीएसटी की शुरुआत के बाद सड़क परमिट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी) सीटीडी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सड़क परमिट जारी किए गए थे। झारक्राफ्ट ने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर प्रत्येक प्रेषित सामग्री के लिए सामग्री, प्रेषक, प्रेषण की जगह, पहुंचाने की जगह इत्यादि के विवरण के साथ विशिष्ट सड़क परमिट संख्या बना कर इसके लिंक को प्रेषक को भेजा ताकि प्रेषक पोर्टल का उपयोग कर उसमें वाहन संख्या, सामग्री भेजने की तिथि आदि उसमें दर्ज कर सके। सीटीडी चेकनाका को पार करने के लिए इसकी एक मुद्रित प्रति वाहन के चालक के साथ भेजी गई।

[13] ₹ 1.05 करोड़ मूल्य के 1.46 लाख किलो धागे को ले जाने में

[14] यह मानते हुए कि प्रतिदिन 12 घंटे की यात्रा की गयी

[15] भारत में वस्तुओं के आवाजाही के लिए भारत के खुदरा विक्रेता एसोसिएशन के दिसम्बर 2013 में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार

[16] 0.48 लाख किग्रा धागे (मूल्य ₹ 0.35 करोड़)

✓ अभिलेखों से संकेत मिला कि 26 सितम्बर 2017 से 26 अक्टूबर 2017 के बीच तीन वाहनों से 21,071 अर्ध-परिष्कृत कम्बलों को भेजे जाने का दावा किया गया। हालांकि, परिवहन चालानों[17] की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये: (i) अलग-अलग क्लस्टरों तथा अलग-अलग वाहनों के लिए जारी किये गये परिवहन चालानों में हस्तलेखन समान थे, जिसे स्पष्टत: देखा जा सकता था, जो यह संकेत करता है कि परिवहन चालान नकली बनाये गये थे; (ii) एक ही दिन यात्रा करने वाले और एक ही वाहन के चालकों के नाम संबंधित परिवहन चालानों में भिन्न थे; (iii) विभिन्न परिवहन चालानों में दावा किया गया कि तीनों वाहनों में से प्रत्येक ने विभिन्न जिलों में स्थित दो क्लस्टरों (जिनकी दूरी 60 किमी, 227 किमी और 461 किमी) में एक ही दिन में यात्रा किया था जो सम्भव नहीं था (iv) इसके अलावा, परिवहन चालान के अनुसार प्रत्येक वाहन द्वारा निर्धारित स्थानों से निर्दिष्ट स्थानों तक (यानि संबंधित क्लस्टर से पानीपत तक) सामग्री ढुलाई का दावा किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वाहन प्रति यात्रा एक से अधिक क्लस्टर नहीं गए थे ***(परिशिष्ट 2.1.3)***।

✓ झारखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 यह निर्धारित करता है कि सीटीडी चेक पोस्ट रोड परमिट में लिखी घोषणाओं को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और अपनी आधिकारिक मुहर लगाएंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2017 से जून 2017 की अवधि के लिए 92 रोड परमिटों में से किसी में भी अनिवार्य प्रतिहस्ताक्षर और सीटीडी का आधिकारिक मुहर नहीं लगा था। इससे यह स्पष्ट है कि इन रोड परमिट का उपयोग धागों/ अर्ध-परिष्कृत कंबल/परिष्कृत कंबल के परिवहन के लिए नहीं किया गया था और यह संकेत देता है कि ये दस्तावेज काल्पनिक थे।

2.1.4 टोल प्लाजा डेटा के संदर्भ में विसंगतियां

परिवहन चालान के आधार पर लेखापरीक्षा ने (i) पानीपत के फर्मों से खरीदी गयी ऊनी धागों; (ii) झारखण्ड के विभिन्न क्लस्टरों से धुलाई और परिष्करण के लिए पानीपत भेजे गये अर्ध-परिष्कृत कम्बलों; और (iii) परिष्कृत कम्बलों

[17] इस अवधि के लिए रोड परमिट की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि रोड परमिट बनाने की प्रणाली को 1 जुलाई 2017 के बाद ख़त्म कर दिया गया।

को पानीपत से 24 जिलों के उपायुक्तों को बीपीएल श्रेणी के लाभुकों के बीच वितरण के लिए भेजे गये, कथित परिवहनों का एक डाटाबेस तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने इन वाहनों की पंजीकरण संख्या का मिलान एनएच-2 पर स्थित बिहार के सासाराम टोल प्लाजा, एनएच-709 पर स्थित दाहर टोल प्लाजा और एनएच-1 पर स्थित वैकल्पिक भागन टोल प्लाजा[18] (दोनों हरियाणा में) के टोल डाटा[19] से किया। पानीपत और झारखण्ड के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए एनएच-2 पर सासाराम होते हुए जो मार्ग है वह सबसे उपयुक्त और सबसे कम दूरी वाला मार्ग[20] है जैसा नीचे चित्र 2.1.1 में दिखाया गया है। लेखापरीक्षा ने इसलिए माना है कि, यद्यपि कुछ वाहनों द्वारा अन्य मार्गों का उपयोग किया गया हो, परन्तु यह सम्भव नहीं था कि किसी भी वाहन द्वारा सासाराम होते हुए सबसे कम दूरी और सबसे उपयुक्त मार्ग का उपयोग नहीं किया जाए। लेखापरीक्षा ने यह भी अनुमान लगाया कि पानीपत से झारखण्ड के लिए जाने वाले ट्रक एक दिन[21] में दाहर या भागन टोल प्लाजा पार करेंगे और पानीपत और सासाराम की दूरी कुल तीन दिनों[22] में तय करेंगे।

---

[18] चूंकि भागन टोल प्लाजा 23 अक्टूबर 2017 से परिचालित हुआ था, इसलिए टोल डाटा इस तिथि से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए एकत्र किया जा सका। हालांकि, झारक्राफ्ट के अभिलेखों के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई धागा नहीं आया था।

[19] सासाराम टोल प्लाजा और दाहर टोल प्लाजा के लिये अवधि 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 और भागन टोल प्लाजा के लिये 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि का टोल डाटा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपलब्ध कराया गया।

[20] पानीपत से झारखण्ड के बीच अन्य मार्गों से यात्रा तय करने पर वाहनों को 26 किमी से 402 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती।

[21] पानीपत से दाहर टोल प्लाजा 10 किमी और भागन टोल प्लाजा 93 किमी की दूरी पर है। दोनों स्थानों की दूरी को एक दिन में तय किया जा सकता था (झारक्राफ्ट के अभिलेख में बताये गए 48 से 261 किमी प्रति घंटे की अनुमानित गति की तुलना में औसतन 30 किमी प्रति घंटे की दर से प्रति दिन 12 घंटे की दूरी तय करने पर- उपरोक्त अनुच्छेद 2.1.3 देखा जा सकता है)।

[22] पानीपत से सासाराम टोल प्लाजा की दूरी 1,000 किमी है, जिसे तीन दिनों में तय किया जा सकता है।

चित्र 2.1.1: पानीपत - झारखण्ड मार्ग और टोल प्लाजा स्थानों को दर्शाता हुआ नक्शा

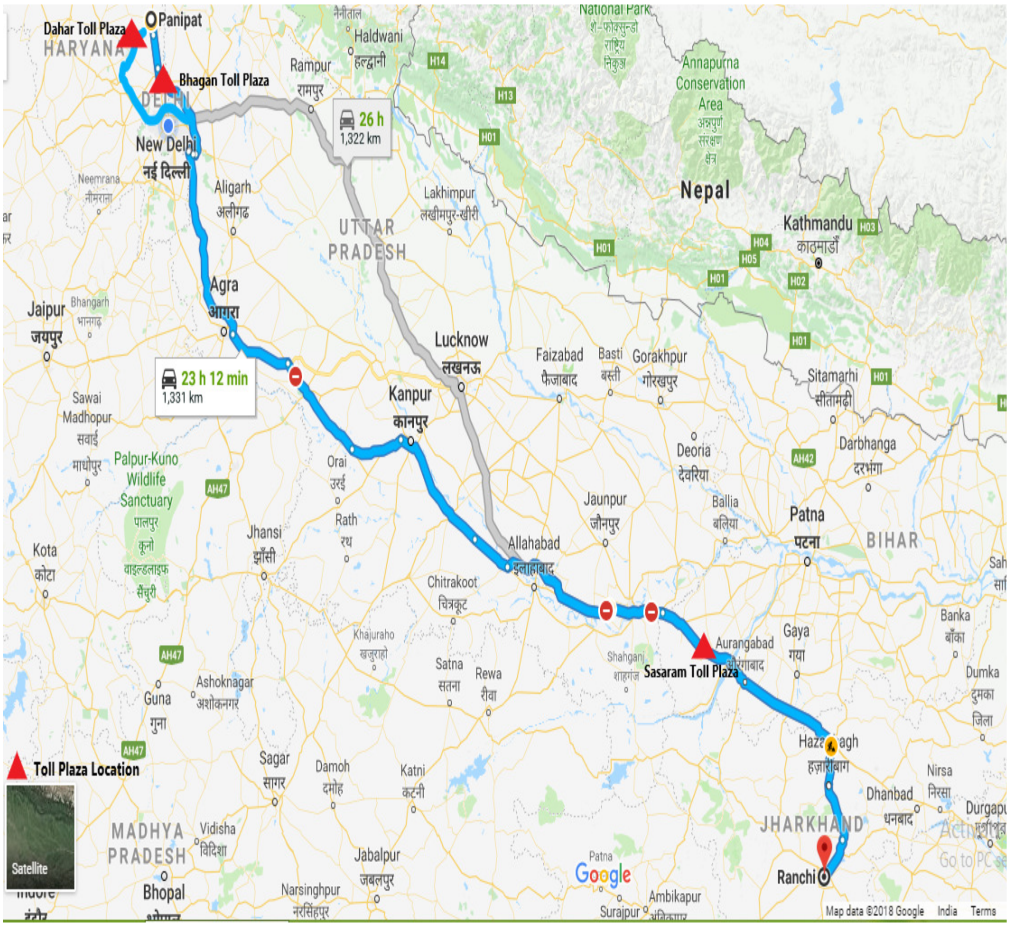

(स्रोतः गूगल मैप)

2.1.4.1 पानीपत से झारखण्ड तक ऊनी धागे ले जाने का दावा करने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान

परिवहन चालान के अनुसार, एक वाहन (एचआर 67ए 1061) ने कथित रूप से दिनांक 15 सितंबर 2017 को पानीपत से झारखण्ड के लिए ऊनी धागे की ढुलाई की थी। हालांकि, दाहर टोल डेटा से पता चला कि ट्रक 15 सितंबर को दाहर के मार्ग से गया था और 16 सितंबर को ही लौट आया था। इसके अलावा, वही ट्रक 19 सितंबर को दाहर को पार कर उसी दिन दाहर के मार्ग से लौट आया। पुनः, वही ट्रक 20 सितंबर 2017 को दाहर से निकलकर 21 सितंबर को लौट आया। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान ट्रक झारखण्ड नहीं गया था और परिवहन चालान काल्पनिक था।

2.1.4.2 झारखण्ड से पानीपत तक अर्ध-परिष्कृत कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान

23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के लिए टोल डेटा के साथ परिवहन चालानों के मिलान के परिणाम तालिका 2.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2: परिवहन चालानों के अनुसार झारखण्ड से पानीपत तक अर्ध-परिष्कृत कम्बलों का परिवहन करने वाले वाहनों का विवरण और टोल डेटा के साथ मिलान

परिवहन चालानों के अनुसार संचालित यात्राओं की संख्या	परिवहन चालानों के अनुसार पानीपत को प्रेषित अर्ध-परिष्कृत कम्बलों की संख्या	टोल डाटा से मिलान के परिणाम		
		127 यात्राओं में से सासाराम टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	सासाराम पार करने के बाद दाहर टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	सासाराम पार करने के बाद भागन टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83 ट्रकों द्वारा 127 यात्राएं	4,10,844	9	शून्य	शून्य

इसलिए यह स्पष्ट है कि 83 ट्रकों में से कोई भी झारखण्ड से पानीपत तक के लिए यात्राएँ नहीं की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परिवहन चालान के अनुसार एक ट्रक (एचआर 67ए 3918) 16 सितंबर 2017 को डाल्टनगंज, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल डाटा दर्शाता था कि इस ट्रक ने उसी दिन दाहर को पार किया था (1,300 किमी की दूरी)। परिवहन चालानों से यह भी पता चला कि यही ट्रक (एचआर 67ए 3918) 26 सितंबर 2017 को एक बार फिर डाल्टनगंज से निकला था; यहाँ भी, टोल डाटा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन दाहर को पार किया था। पुनः, परिवहन चालान के अनुसार, एक दूसरा ट्रक (एचआर 67बी 6567) 29 सितंबर 2017 को गोड्डा, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल आंकड़ा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन उल्टी दिशा से (यानि पानीपत की ओर से) दाहर को पार किया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि इन सभी परिवहन चालानों द्वारा जिसमे झारखण्ड के विभिन्न समूहों से पानीपत तक की 4,10,844 अर्ध-परिष्कृत कंबल की ढुलाई का दावा किया गया था, काल्पनिक था।

2.1.4.3 पानीपत से झारखण्ड तक तैयार कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान

23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान के परिणाम तालिका 2.3 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 2.3: परिवहन चालान के अनुसार पानीपत से झारखण्ड तक तैयार कंबल की ढुलाई करने वाले वाहनों का विवरण और टोल डेटा के साथ मिलान				
परिवहन चालानों के अनुसार संचालित यात्राओं की संख्या	परिवहन चालानों के अनुसार पानीपत से प्रेषित तैयार कम्बलों की संख्या	टोल डाटा से मिलान के परिणाम		
		57 यात्राओं में दाहर टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	भागन टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	भागन या दाहर टोल प्लाजा पार करने के बाद सासाराम पार करने वाली यात्राओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46 ट्रकों द्वारा 57 यात्राएं	4,49,762	शून्य	शून्य	शून्य

18.84 लाख किलोग्राम धागे के परिवहन का दावा करने वाले परिवहन चालान नकली थे

अत: यह स्पष्ट है कि परिवहन चालानों में किया गया दावा कि 18.84 लाख किलोग्राम धागे (₹ 13.56 करोड़ मूल्य के), 8.50 लाख अर्ध-परिष्कृत कंबल (₹ 18.42 करोड़ मूल्य के) और 6.75 लाख परिष्कृत कंबल (₹ 15.83 करोड़ मूल्य के) की झारखण्ड/पानीपत के बीच ढुलाई की गई थी, काल्पनिक था।

परिणामस्वरूप, 18.84 लाख किलोग्राम ऊनी धागे[23] की खरीद के लिए ₹ 13.56 करोड़ का भुगतान, ₹ 2.39 करोड़[24] के मजदूरी भुगतान, ₹ 1.36 करोड़[25] के परिष्करण शुल्कों की लागत और जनवरी 2018 तक ₹ 1.10 करोड़[26] के परिवहन शुल्क का भुगतान कपटपूर्ण था। साथ ही, झारक्राफ्ट बुनकरों के लिए 88,868 मानव-दिवसों[27] के रोजगार पैदा करने में विफल रहा, जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा परिकल्पित था।

2.1.5 स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी)/ प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) द्वारा कंबल बुनाई

झारक्राफ्ट की कार्य आवंटन योजना[28] (डब्ल्यूएपी) के अनुसार, एक कंबल बुनाई के लिए 2.12 किग्रा ऊनी धागों की आवश्यकता थी और झारक्राफ्ट के आकलन के अनुसार, प्रति दिन प्रति हैंडलूम[29] 10 कंबल बुने जा सकते थे।

---

[23] ₹ 72 प्रति कि.ग्रा. की दर से

[24] 8,88,679 कंबल के लिए ₹ 5.67 करोड़ के दावे के खिलाफ ₹ 64.02 प्रति कम्बल की दर पर वास्तव में मजदूरी की भुगतान की गई

[25] ₹ 17.90 प्रति कंबल की दर से 8,88,679 कंबल तैयार करने के लिए ₹ 1.59 करोड़ के दावे का भुगतान

[26] ₹ 3.24 करोड़ के दावे के खिलाफ परिवहन शुल्क

[27] इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रति दिन एक दिन में 10 कंबल बुनाई जा सकती है, 8,88,679 कंबल बुनकरों के लिए 88,868 मानव-दिवस के रोजगार पैदा कर सकते थे

[28] कार्य आवंटन योजना (डब्ल्यूएपी) एसएचजी/ पीडब्लूसीएस को निर्गत किए गए धागे की प्रत्येक खेप के लिए तैयार की जाती है, जिसमे आपूर्ति की गई धागे की मात्रा, एसएचजी के साथ उपलब्ध लूमों की संख्या, एसएचजी द्वारा बुने जाने वाले कम्बलों की संख्या, मजदूरी इत्यादि दर्शायी जाती है

[29] अभिलेखों के अनुसार, झारक्राफ्ट के पास 62 क्लस्टरों में 683 हैंडलूम थे; हालांकि, डीजीएम हैंडलूम ने लेखापरीक्षा को क्लस्टर वार कुल 753 हैंडलूम के विवरण उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के आधार पर, लेखापरीक्षा ने प्रत्येक एसएचजी/ पीडब्लूसीएस की बुनाई क्षमता का उनको उपलब्ध कराये गये धागे और उनके पास उपलब्ध हैंडलूम की संख्या पर विचार करते हुए विश्लेषण किया और झारक्राफ्ट द्वारा जेनेसिस सॉफ्टवेयर में संधारित भंडार खाते में निम्नलिखित कमियों को देखा जो यह दर्शाता था कि अभिलेख काल्पनिक थे:

✓ झारक्राफ्ट द्वारा 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस को 21.48 लाख किग्रा ऊनी धागों को वितरित (अक्टूबर 2016 से नवंबर 2017 के बीच) किया हुआ दर्शाया गया था जो 10,13,208 कंबल बनाने के लिए पर्याप्त था। जेनेसिस सॉफ्टवेयर के अनुसार, दिसंबर 2017 तक 16 एसएचजी/ डब्ल्यूसीएस के पास 1.32 लाख किलोग्राम ऊनी धागा अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। इस प्रकार, अभिलेखों के अनुसार, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने कंबल के उत्पादन के लिए केवल 20.16 लाख किलोग्राम[30] ऊनी धागों का उपयोग किया और दिसंबर 2017 तक झारक्राफ्ट में 9,83,447 बुने हुए कम्बलों की आपूर्ति की, जबकि उपयोग किए गए धागे से केवल 9,50,944 कंबल[31] बुने जा सकते थे। अतः, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस बिना ऊनी धागे की उपलब्धता के 32,503 (9,83,447 - 9,50,944) कंबल का उत्पादन नहीं कर सकता था और कंबल के उत्पादन का झारक्राफ्ट का दावा संदिग्ध है।

13 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास कोई धागा नहीं था जो उनके दावे को साबित करता कि उन्होंने 44,909 कम्बलों की आपूर्ति की।

✓ जेनेसिस सॉफ्टवेयर के अनुसार, 13 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने जून 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान 24 अलग-अलग तिथियों पर 44,909 कम्बलों की आपूर्ति की। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इन एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास प्रासंगिक तिथियों पर कोई धागा उपलब्ध नहीं था और इसलिए, निर्दिष्ट तारीखों पर कंबल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था ***(परिशिष्ट 2.1.4)*** ।

✓ लेखापरीक्षा ने एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास उपलब्ध हैंडलूम की संख्या, उनके पास उपलब्ध ऊनी धागों और प्रति दिन प्रति हैंडलूम 10 कंबल की बुनाई की क्षमता के आधार पर उनके उत्पादन क्षमता की जांच की और पाया कि जून 2016 से दिसंबर 2017 के बीच 51 एसएचजी/ पीडब्लूसीएस ने अपनी उत्पादन क्षमता[32] से 3.72 लाख अधिक कम्बलों की आपूर्ति की थी ***(परिशिष्ट 2.1.5)*** ।

---

[30] 21.48 लाख किग्रा (-) 1.32 लाख किग्रा

[31] 20.16 लाख किग्रा ऊनी धागों से प्रति कंबल 2.12 किग्रा ऊनी धागे का उपयोग करके

[32] उत्पादन क्षमता की गणना एसएचजी/ पीडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध दिन जिसके लिए ऊनी धागे उपलब्ध थे, एसएचजी/ पीडब्लूसीएस के पास उपलब्ध हैंडलूम की संख्या और प्रति दिन प्रति हैंडलूम 10 कम्बलों की बुनाई क्षमता को ध्यान में रखकर की गई थी

✓ जुलाई 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान 3,73,970 कम्बलों की बुनाई की मजूदरी के रूप में ₹ 2.39 करोड़ बुनकरों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय 27 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के बैंक खातों में जमा किये गये। यद्यपि, प्रबंध निदेशक ने दावा[33] किया कि मजदूरी को एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के अध्यक्षों द्वारा नकद में आहरित कर बुनकरों को वितरित किया गया था, परन्तु बुनकरों को मजदूरी के इस तरह के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं था।

अत:, झारक्राफ्ट का यह दावा कि एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस द्वारा 9.83 लाख कंबल बुने गए थे वह संदिग्ध है।

2.1.6 हैंडलूम की खरीद में अनियमितताएं

अभिलेखों में पाया गया कि मई 2016 और दिसंबर 2017 के बीच झारक्राफ्ट ने चार फर्मों[34] से ₹ 2.02 करोड़ की लागत से 633 हैंडलूम और सहायक उपकरण[35] खरीदे हालांकि अभिलेखों में यह दर्शाया गया कि इन हैंडलूम को 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस को वितरित किए गए थे, परन्तु, इन हैंडलूम की पहचान संख्या, स्थान और कार्यदशा की स्थिति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था।

डीजीएम हैंडलूम द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार, महुआटांड क्लस्टर के दो एसएचजी[36] को 30 नए हैंडलूम और सिथियो क्लस्टर के एक एसएचजी[37] को 20 हैंडलूम दिया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा और झारक्राफ्ट अधिकारियों (प्रबंध निदेशक सहित) द्वारा इन क्लस्टरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2018) में पाया गया कि महुआटांड के दोनों एसएचजी (दोनों एक ही छत के नीचे स्थित) में केवल आठ हैंडलूम थे, जिनमें से केवल चार हैंडलूम स्थापित और परिचालन के स्थिति में थे। सिथियो क्लस्टर में केवल पांच हैंडलूम थे (सभी स्थापित)।

---

[33] महुआटांड क्लस्टर की संयुक्त भौतिक जांच रिपोर्ट में

[34] ए.के.इंटरप्राइजेज, लातेहार; बुनकर सेवा, रांची; के.जी.एन. ट्रेडर्स, रामगढ; तथा एस. एच. ट्रेडर्स, लातेहार

[35] झारक्राफ्ट में पूर्व से मौजूद 50 हैंडलूम के अलावा.

[36] महुआटांड, लातेहार में हर्ष गरीब नवाज़ तथा हर्ष गाँधी

[37] सिथियो बुनकर सहयोग समिति, रांची

चित्र 2.1.2: महुआटांड एसएचजी में विघटित लूम	**चित्र 2.1.3: महुआटांड एसएचजी में स्थापित लूम**

इससे यह स्पष्ट है कि इन नमूना परीक्षित तीनों एसएचजी में उनके द्वारा दावा किये गये उत्पादन क्षमता का केवल 18 प्रतिशत ही उपलब्ध था; इसके अलावा, हैंडलूम की पूरी आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया।

उपरोक्त अवलोकनों से लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने फर्जी अभिलेखों के सहारे 8.89 लाख कम्बलों के लिए ऊनी धागे (₹13.56 करोड़), मजदूरी (₹ 2.39 करोड़), परिष्करण (₹ 1.36 करोड़) और परिवहन (₹ 1.10 करोड़) के लिये ₹18.41 करोड़ व्यय का कपटपूर्ण भुगतान कर दिया।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर, विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, निदेशक मंडल, झारक्राफ्ट ने सचिव, उद्योग, खनन और भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार को निर्देशित किया (मार्च 2018) कि चूँकि प्रथम दृष्ट्या इस मामले में सरकारी राशि के दुरुपयोग/गबन तथा आपराधिक इरादे से कागजी दस्तावेज तैयार कर सरकार और लोगों के साथ धोखाधड़ी करना शामिल है; अतः इसकी निगरानी जांच करायी जाए। विकास आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि इस आपराधिक कार्य में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस और निजी पार्टियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए तथा भुगतान की गयी राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

तदनुसार, उद्योग, खनन और भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार ने प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर, रांची की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित (मार्च 2018) की। जुलाई 2018 तक जांच चल रही थी।

झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड

2.2 झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) का लेखापरीक्षा

जेपीएचसीएल के लेखापरीक्षा में निम्न अनियमितताएँ परिलक्षित हुए।

2.2.1 योग्यता नहीं रखने वाले निविदादाताओं को ₹ 4.87 करोड़ के निर्माण अनुबंध दे दिया गया

2.2.1.1 सीआरपीएफ मुख्यालय, लातेहार में निर्माण कार्य

जेपीएचसीएल ने (अगस्त 2013) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) बटालियन मुख्यालय, लातेहार जिला के लिये दो निर्माण कार्य[38] मेसर्स सन इंडिया को क्रमश: ₹ 1.15 करोड़ एवं ₹ 1.40 करोड़ में आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा के शर्तों के अनुसार, फर्म के पास उसके नाम से ₹ 0.83 करोड़ (प्रथम कार्य के लिए) और ₹ 1.01 करोड़ (द्वितीय कार्य के लिए) पूर्व-कार्य अनुभव[39] होना चाहिए था, साथ ही इन दो कार्यों के लिए ₹ 0.64 करोड़ एवं ₹ 0.78 करोड़ का अलग-अलग बैंकर्स प्रमाण-पत्र[40] समर्पित करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्न कारणों से सन इंडिया उक्त अहर्ता को पूरा नहीं करता था:

✓ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सन इंडिया के साझेदार श्री उदय प्रताप सिंह के नाम से था न कि स्वयं सन इंडिया के नाम से जो निविदा के शर्तों के तहत जरूरी था; इसके अलावा ₹ 0.99 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र द्वितीय कार्य (₹ 1.01 करोड़) के लिए अपर्याप्त था।

✓ निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) बिना किसी प्राधिकार या कोई कारण उल्लेखित किये, निविदा शर्तों के अनुसार दो कार्यों के लिए बैंकर्स प्रमाण पत्र के राशि जो क्रमश: ₹ 0.64 करोड़ और ₹ 0.78 करोड़ थी, उसे घटाकर क्रमश: ₹ 0.32 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ कर दिया।

---

[38] मुख्यालय में चहारदिवारी, अपर सर्बोडिनेट/लोअर सर्बोडिनेट आवास रसोई और जलपानगृह का निमार्ण; और (2) 50 बिस्तर का बैरक, मैगजिन (अस्त्र एवं गोला बारूद भण्डार), सीआरपीएफ बटालियन में अधिकारी मेस का निमार्ण।

[39] निविदा के धारा 3.2 (बी) के अनुसार बोली लगाने वाले के पास हरेक कार्य के लिए उसके नाम का कार्य अनुभव होना चाहिए जो अनुमानित लागत के 65 प्रतिशत से कम का न हो।

[40] बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जो वचन देता है कि अनुबंध के अन्तर्गत कार्य के लिए अपेक्षित कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराएगा। निविदा के धारा 3.4 (एफ) के अनुसार बोली लगाने वाले को तीन माह के अनुमानित पूँजी आवश्यकता के सममूल्य यथा अनुमानित लागत x माह/नियत समापन अवधि का बैंकर्स प्रमाण-पत्र जमा करना था।

कार्य अनुभव और बैंकर्स प्रमाण-पत्र संबंधित अहर्ता शर्तों को न पूरा करने के बावजूद मेसर्स सन इंडिया को ₹ 1.15 करोड़ और ₹ 1.40 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर कार्यादेश निर्गत किया गया।

✓ सन इंडिया ने दोनों कार्यो के लिए एसबीआई, डाल्टनगंज शाखा से निर्गत ₹ 0.40 करोड़ का एक बैंकर्स प्रमाण पत्र समर्पित किया था, जो एक अलग फर्म सन इंडिया फार्मा के नाम से निर्गत था, जबकि हरेक कार्य के लिए निविदादाता के नाम का अलग-अलग बैंकर्स प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी।

सन इंडिया के योग्यता मानदण्ड पूरा न करने के बावजूद टीईसी[41] (18/20 जुलाई 2013) द्वारा इस फर्म को दोनों कार्य के लिए अनुशंसा किया गया।

जवाब में (अक्टूबर 2017), मुख्य अभियंता, जेपीएचसीएल ने कहा कि सन इंडिया ने ₹ 1.66 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किया था जो दोनों कार्यों के अहर्ता के लिए पर्याप्त था, जिसे मानवीय भूल के कारण तकनीकि मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरणी में शामिल नहीं किया जा सका। साथ ही, ₹ 0.32 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ के योग्यता मानदण्ड के विरूद्ध सन इंडिया ने क्रमश: ₹ 0.40 करोड़ एवं ₹ 0.50 करोड़ का अलग-अलग बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया कि सन इंडिया ने ₹ 1.66 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किया था। साथ ही टीईसी ने अपना निर्णय ₹ 0.99 करोड़ की कम राशि का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया या (जो अपर्याप्त था) न कि उच्च राशि पर जिसे अभी दावा किया गया। इसके अतिरिक्त टीईसी द्वारा ₹ 0.40 करोड़ का एक बैंकर्स प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया जो दोनो कार्यों की योग्यता मानदण्ड को पूरा नहीं करता था। इसके अतिरिक्त ₹ 1.66 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र और ₹ 0.50 करोड़ का बैंकर्स प्रमाण-पत्र जिसे सुपूर्द किया जाने का प्रबंधन ने दावा किया, क्रमश: श्री उदय प्रताप सिंह एवं मेसर्स सन इंडिया फार्मा के नाम पर था जबकि इन्हें निविदा के शर्तों के अनुरूप मेसर्स सन इंडिया के नाम पर होना था।

2.2.1.2 खुँटी पुलिस स्टेशन में आवासों का निर्माण

जेपीएचसीएल ने खुँटी पुलिस स्टेशन में 16 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य मेसर्स राज कुमार साहु को ₹ 0.95 करोड़ में आंविटत किया (जून 2012)। लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म ने एक ₹ 0.10 करोड़ का नकली

[41] श्री ए.ई. भेंगड़ा (ईई), श्री आर.एन. तिवारी (एई), श्री राजेश कुमार (एई), श्री ए.के. झा (एई) और श्री एम.जे कण्डुलना (लेखापाल) शामिल थे।

बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र[42] जमा किया था जिसमे राशि बदलकर ₹ 0.40 करोड़ लिखा[43] हुआ प्रतीत हो रहा था और जिसकी निर्गत तिथि (7 सितम्बर 2011) निविदा खुलने के पहले (20 अप्रैल 2012) का था। बावजूद इसके, टीईसी[44] ने अयोग्य फर्म की अनुशंसा (18 मई 2012) की।

उत्तर में (अप्रैल 2017) लेखा अधिकारी, जेपीएचसीएल ने बतलाया कि बैंक से सम्पर्क किया गया जिसने इस प्रमाण-पत्र के सत्यता की पुष्टि की परन्तु नया प्रमाण-पत्र निर्गत करने से मना कर दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बैंक से इससे संबंधित पत्राचार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

2.2.1.3 गुडा पिकेट और कराडुवा के सीआरपीएफ कैंप में निर्माण

जेपीएचसीएल ने मेसर्स सीएस इन्जिनियरिंग को दो निमार्ण कार्य[45] प्रत्येक ₹ 0.56 करोड़ में आंवटित किया (अक्टूबर 2013)। निविदा में वर्णित योग्यता मानदण्ड के अनुसार, फर्म को प्रत्येक कार्य के लिए ₹ 0.55 करोड़ का बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि टीईसी बिना किसी प्राधिकार या कोई कारण उल्लेखित किये बैंकर्स प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक राशि घटाकर प्रत्येक कार्य के लिए ₹ 0.14 करोड़ कर दिया। इसके अलावा, फर्म ने केनरा बैंक द्वारा निर्गत ₹ 0.15 करोड़ का एक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र[46] समर्पित किया न कि बैंकर्स प्रमाण-पत्र। बावजूद इसके, टीईसी[47] (23 जुलाई 2013) ने अयोग्य फर्म की अनुशंसा की।

---

[42] बैंक शेष प्रमाण-पत्र के अनुसार मेसर्स राज कुमार साहु बैंक के ग्राहक हैं और ₹ 0.10 करोड़ का शेष रखते हैं जबकि बैंकर्स प्रमाण-पत्र के मानक प्रारूप दर्शाता है कि अगर बोली लगाने वाले के साथ अनुबंध (कार्य का नाम) किया जाता है तो बैंक अनुबंध में अपेक्षित ₹ 0.29 करोड़ तक का कार्यशील पूँजी उपलब्ध करवाएगा।

[43] राशि ₹ 10,24844 को बदलकर ₹ 40,24,844 लिखा गया था।

[44] श्री एस.आर. सिन्हा (सीई), श्री ए.के. झा (एई), और श्री एक के सिन्हा (लेखा अधिकारी), शामिल थे।

[45] (1) सीआरपीएफ कैम्प, गुडा पिकेट मे बैरक, किचन एवं जलपानगृह, अधिकारी गृह इत्यादि का निर्माण कार्य और (2) पूर्व सिंहभूम जिला के सीआरपीएफ कैम्प, कराडुवा में बैरक, उच्च जल टैंक का निर्माण कार्य।

[46] साल्वेंसी प्रमाण-पत्र के अनुसार मेसर्स सीएस इन्जिनियरिंग बैंक का ग्राहक है और ₹ 0.15 करोड़ का शेष रखता है वहीं बैंकर्स प्रमाण-पत्र के मानक प्रारूप दर्शाता है कि अगर अनुबंध किया जाता है (कार्य का नाम) तो बैंक अनुबंध में अपेक्षित कार्यशील पूँजी के लिये ₹ 0.55 करोड़ तक का उधार सुविधा उपलब्ध करवाएगा।

[47] श्री ए.ई. भेगरा (ईई), श्री आर.एन तिवारी (एई) श्री राजेश कुमार (एई) , श्री ए.के. झा (एई) और श्री एम.जे कण्डुलना (लेखापाल) शामिल थे।

मुख्य अभियन्ता, जेपीएचसीएल ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2017) बतलाया कि फर्म ने ₹ 0.15 करोड़ का बैंकर्स प्रमाण-पत्र प्रत्येक कार्य के लिए समर्पित किया था। उपर वर्णित कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं।

2.2.1.4 चाइबासा पुलिस लाईन में निमार्ण एवं अन्य कार्य

जेपीएचसीएल ने पश्चिम सिंहभूम जिला में चाइबासा पुलिस लाइन में निमार्ण एवं अन्य कार्य मेसर्स कृष्णा ग्रुप को ₹ 25.14 लाख में आंवटित किया (दिसम्बर 2012)। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि निविदा में वर्णित योग्यता मानदण्ड के अनसार फर्म को ₹ 6.29 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित करना था। इसके जगह फर्म ने सिर्फ ₹ 10,000 का बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र समर्पित किया, परन्तु टीईसी[48] ने निविदा मुल्यांकन विवरणी में गलत तरीके से बतलाया कि फर्म ने ₹ 10 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित किया और अयोग्य फर्म को योग्य करार दे दिया (14 नवम्बर 2012)।

लेखा अधिकारी, जेपीएचसीएल ने उत्तर (अप्रैल 2017) में बतलाया कि मेसर्स कृष्णा ग्रुप के ₹ 10 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र का पठन योग्य प्रति एसबीआई, हिनू शाखा से अब प्राप्त कर लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा के साथ समर्पित एसबीआई, लालपुर द्वारा निर्गत ₹ 10,000 का बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र जो कि निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ समर्पित किया गया था पूर्णत: पठन-योग्य था, हालांकि निविदा मूल्यांकन समिति ने गलत तरीके से निविदा मूल्यांकन में इस बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र को ₹ 10 लाख का बतलाया। इसके अलावा, एसबीआई हिनू शाखा द्वारा निर्गत बतलाया जाने वाला ₹ 10 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र वास्तव में एक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र है न कि निविदा शर्त के अनुसार विहित प्रारूप में निर्गत बैंकर्स प्रमाण-पत्र।

इस तरह जेपीएचसीएल ने अयोग्य संवेदको को ₹ 4.87 करोड़ का निमार्ण कार्य आंवटित किया।

इस मामले को गृह विभाग को अगस्त 2017 में सूचित किया गया। उत्तर अप्राप्त है।

[48] श्री एस.आर. सिन्हा (सीई), श्री आर.एन तिवारी (एई), श्री राजेश कुमार (एई), श्री एम.जे कण्डुलना (लेखापाल) शामिल थे।

अनुशंसा

गृह विभाग को, निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्होने गलत ढ़ंग से अयोग्य बोली लगाने वालों को योग्य करार दिया, के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2.2.2 मानक कार्यविधि के न बनाये जाने से निर्माण सामग्री का परीक्षण परिणाम विश्वसनीय नहीं होना

जेपीएचसीएएल के निविदा में वर्णित मानक शर्त के अनुसार संवेदक को निमार्ण कार्य में प्रयुक्त सामग्री (सीमेन्ट, बालू, ईटा इत्यादि) का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र[49] झारखण्ड सरकार की संस्था, बिरसा इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) से प्राप्त करना होता है।

कंपनी द्वारा निमार्ण कार्य की अनुबंधों में गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं थे क्योंकि जाँच नमूना को ढ़लाई के दिन या उससे पहले के दिवस में भेजा गया दर्शाया गया था।

ढ़लाई नमुना[50] की गुणवत्ता जाँच क्योरिंग के प्रक्रिया से होती है जिसमें जाँच नमूनों को पहले 24 घण्टों तक नम हवा में रखा जाता है और फिर गुणवत्ता जाँच के पहले तक ताजा पानी में डुबा कर रखा जाता है (सीपीडब्लूडी कंक्रीट कार्य विशिष्टीकरण)।

दो कार्यो[51] से संबंधित 20 जाँच नमूनों के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2016 से जून 2017) से यह प्रकट हुआ कि 18 नमूनों को ढ़लाई के दिन ही संबंधित सहायक अभियन्ता (एई) द्वारा बीआईटी सिन्दरी को भेज दिया गया था और दो नमूने को ढ़लाई की तिथि से चार से 21 दिन पहले भेजा हुआ दर्शाया गया था। पुन: संबंधित एई ने नमूनों का प्रेषण और प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति का कोई अभिलेख (यथा, निर्गम पंजी, प्राप्ति पंजी इत्यादि) संधारित नहीं किया था।

मुख्य अभियन्ता, जेपीएचसीएल ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में बतलाया कि कुछ मामलों में क्युब परीक्षण के लिए भेजे गये पत्र संबंधित एई द्वारा ढ़लाई की निर्धारित तिथि से पहले की तिथियों में निर्गत कर दिया गया था परन्तु ये पत्र ढ़लाई हो जाने के बाद ही प्रेषित किये गये थे।

---

[49] गुणवता जाँच नमूना को एई, जेपीएचसीएल ने बीआईटी सिन्दरी को अपने संदेशवाहक के द्वारा भेजा और जाँच रिपोर्ट बीआईटी सिन्दरी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, जेपीएचसीएल को भेजा गया हालॉकि जाँच का खर्च संवेदक द्वारा वहन किया गया।

[50] ढ़लाई के समय संगृहीन कंक्रीट क्युब।

[51] (i) ₹ 22.19 करोड़ लागत का कान्सटेबल प्रशिक्षण स्कूल में प्रशासनिक सह प्रशिक्षण भवन (ii) ₹ 16.41 करोड़ लागत का कान्सटेबल प्रशिक्षण स्कूल, मुसाबनि में 250 शश्या का छात्रावास (ब्लॉक - 1 और 2)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने प्रेषण पंजिका नहीं रखा है, जिसमें जाँच नमूने को वास्तविक प्रेषित दर्शाया गया हो और एई द्वारा क्युब जाँच के लिए निर्गत पत्र के कार्यालय प्रति भी यह दर्शाता है की जाँच के लिये नमूना ढ़लाई के दिन या ढ़लाई के पहले भेजा गया था यद्यपि इन्हे कम से कम 24 घंटे क्योरिंग के बाद ही भेजा जा सकता था।

अनुशंसाएँ

1. **कंपनी को गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट में संभावित फेर-बदल की छानबीन करनी चाहिए और जिम्मेदार पाये गये अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए।**
2. **कंपनी को सामग्रियों की जाँच के प्रत्येक चरण यथा कार्यस्थल पर जाँच नमूनों का संधारण, उनका प्रयोगशाला भेजना, जाँच रिपोर्ट प्राप्ति और इसके प्रलेखन का मानक निर्धारण करना चाहिए।**

2.2.3 ₹ 5.03 करोड़ आयकर का परिहार्य भुगतान

सामान्य वित्त नियम (जीएफआर), 2017 के धारा 230 (8) के अनुसार किसी अनुदान ग्राही संस्था के अनुपयोगित अनुदान या विमुक्त अन्य अग्रिम पर अर्जित ब्याज संबंधित अनुदान प्रदाता को लौटा दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार के योजना राशि से अर्जित ₹ 15.33 करोड़ ब्याज को कंपनी द्वारा अपने आय में गलत ढ़ग से लेने से ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य आयकर भुगतान।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी भारत सरकार से प्राप्त राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण मद में प्राप्त ₹ 20 करोड़ के निवेश पर ₹ 15.33 करोड़[52] का ब्याज अर्जित किया और गलत ढंग से इसे अपना आय माना जिसके फलस्वरूप ₹ 5.03 करोड़[53] आयकर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

अुनशंसा

कंपनी को परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना खाते मे जमा कर देना चाहिए या इसे सरकार को दे देना चाहिए ताकि उस आय पर आयकर भुगतान से बचा जा सके जो खुद का नहीं है।

[52] (i) फरवरी 2009 से फरवरी 2017 अबधि के ₹ 15 करोड के साबधि जमा की राशि पर ₹ 11.90 करोड का ब्याज अर्जित किया और दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2016 अबधि मे ₹ पाँच करोड के सावधि जमा की राशि पर ₹ 3.43 करोड का ब्याज अर्जित किया।

[53] संबंधित वर्ष के आयकर दर से निकाला गया।

उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष योजनाओं/ कार्यों के नमूना जाँच पर आधारित है और इस प्रकृति का निष्कर्ष अन्य योजनाओं/ कार्यों में भी पाया जा सकता है, अत: कम्पनी अपने द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अन्य सभी योजनाओं/ कार्यों की आंतरिक परीक्षण करा सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें आवश्यकता के अनुरुप एवं नियमानुसार कराया जा रहा है।

अध्याय - 3

अध्याय-3

3 अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार के कंपनियों के लेन-देन के नमूना जाँच के आधार पर एक कंडिका शामिल है।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल)

3.1 जल विद्युत संयंत्र सिकिदिरी में ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के ऊर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि

जेयूयूएनएल के द्वारा बुशिंग के सामयिक परीक्षण न करने के कारण एवं क्रय और उसके प्रतिस्थापन में 16 महीने की अनावश्यक देरी के कारण ₹ 22.79 करोड़ मूल्य की 75.73 एमयू ऊर्जा का परिहार्य उत्पादन घाटा।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) का 130 मेगावाट (दो इकाईx65 मेगावाट) क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र, स्वर्णरेखा जल विद्युत संयंत्र (एसआरएचपी), राँची जिले के सिकिदिरी में है। उपर्युक्त प्रत्येक इकाई को 80 एमवीए जेनरेटर ट्राँसफार्मर (जीटी) के साथ डिजाइन किया गया है जिसमें तीन फेज हैं एवं प्रत्येक फेज में तीन अलग-अलग {लाल (आर) पीला (वाई) और नीला (बी)} उच्च तनाव बुशिंग[1] लगे हैं, जो कि इसके कार्य संचालन के अभिन्न अंग हैं।

चित्र 3.1: एसआरएचपी, सिकिदिरी में स्थापित बुशिंग और जेनरेटर ट्राँसफार्मर

18 जून 2015 को यूनिट II में लगे जीटी का वाई फेज बुशिंग फट गया जिससे इकाई को तत्काल बन्द करना पड़ा। 28 जुलाई 2015 को एक पुनर्संगठित बुशिंग स्थापित किया गया जो कि चार घंटा चलने के बाद लगे

---

[1] एक विद्युत अवरोधक उपकरण जिसका कार्य ट्राँसफर्मर में विद्युत धारा का सुरक्षित प्रवाह कराना है

हुए अन्य दो बुशिंग (फेज आर और बी) के साथ फट गया जिससे यूनिट-II फिर से बन्द हो गया।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), ने तीन बुशिंग के लिए ₹ 13.14 लाख का मूल्य उद्धृत किया। यद्यपि यह क्रय प्रबन्ध निदेशक (एमडी) को निहित शक्तियों के अधीन था तथापि उन्होंने इस प्रस्ताव को निदेशक मण्डल (बीओडी) की मंजूरी के लिए भेजा क्योंकि इस क्रय में 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान शामिल था। हालांकि बीओडी ने प्रस्ताव को वापस करते हुए एमडी से अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करने को कहा और तदनुसार, फरवरी 2016 में बीएचईएल को एक क्रय आदेश जारी किया गया।

साथ ही, कंपनी ने बीएचईएल को ₹ 44,200 प्रति सेवा अभियंता प्रति दिन की दर से कम से कम तीन दिनों के लिए, बुशिंग की स्थापना के पर्यवेक्षण का प्रस्ताव किया। यद्यपि एमडी को निहित शक्तियों के अधीन ₹ एक करोड़ मूल्य तक परामर्श सेवाएँ अनुमोदित करने का अधिकार था, तथापि कंपनी के अधिकारियों[2] ने इस मामले को होल्डिंग कंपनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) को भेजा (नवम्बर 2015) जिसे होल्डिंग कंपनी ने एमडी को निहित शक्तियों का हवाला देते हुए लौटा दिया (फरवरी 2016)। उसके दो माह बाद कंपनी के वित्त नियंत्रक (एफसी)-1 द्वारा मई 2016 में बिना कोई कारण दर्ज किये बीएचईएल के साथ मूल्य में मोल-भाव का प्रस्ताव दिया। बीएचईएल ने इंनकार करते हुए मूल्य बढ़ाकर (अगस्त 2016) ₹ 46,200 प्रति अभियंता प्रति दिन कर दिया (क्योंकि प्रस्ताव के तीन माह की वैधता समाप्त हो चुकी थी)। इसके बाद कंपनी ने आंतरिक चर्चाओं में लगभग छः माह व्यतीत करते हुए ₹ 4.62 लाख का कार्यादेश अंतिम भुगतान हेतु जारी किया (फरवरी 2017)। बुशिंग की स्थापना और कमीशनिंग हेतु एक अलग कार्यादेश जारी किया गया (मार्च 2017) और अतंतः जून 2017 में बुशिंग स्थापित और चालू हुआ।

लेखापरीक्षा का अवलोकन नीचे दिया गया हैं:

✓ यद्यपि कंपनी को ट्राँसफार्मर के स्थापना की तारीख से प्रति पाँच वर्ष[3] में बुशिंग की टैन डेल्टा टेस्ट (टीडीटी) करने की आवश्यकता थी, परन्तु 1980 में संयंत्र की स्थापना के पश्चात से ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया था।

---

2 विद्युत अधीक्षण अभियंता (ईएसई) (उत्पादन), मुख्य अभियंता एवं निदेशक (संचालन एवं अनुरक्षण)

3 01 जनवरी 2017 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली में 220 केवी और इससे अधिक विभव वर्ग के सब-स्टेशन उपकरण के असफलता की जाँच के लिए बनाई गयी विशेषज्ञों की स्थाई समिति की बैठक का कार्यवृत

यदि यह किया गया होता तो बुशिंग की विफलता का अनुमान लगाया एवं रोका जा सकता था।

✓ इसके अलावा, यद्यपि कंपनी के अपने मुल्यांकन के अनुसार बुशिंग की औसत आयु 30 वर्ष है, तथापि कंपनी ने बुशिंग को बदलने या अतिरिक्त बुशिंग खरीदने के लिए 2010 तक कोई कदम नहीं उठाया। यदि यह किया गया होता तो घिसा हुआ बुशिंग को समय पर बदल कर यूनिट-II की विफलता को रोका जा सकता था।

✓ यह ध्यान में रखते हुए कि संपूर्ण क्रय एमडी की ₹ एक करोड़ की निहित शक्तियों के अधीन था और अतिरिक्त बुशिंग का मूल्य और इसकी स्थापना की प्रर्यवेक्षण का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम, जोकि क्रमश: ₹ 13.14 लाख और ₹ 4.62 लाख था, कंपनी ने इसके महत्व और तत्कालिक आवश्यकता को आंकने में संवेदना की उल्लेखनीय कमी प्रदर्शित की, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट-II 24 महीने बंद रहा (यानि, जून 2015 से जून 2017 तक) और 75.73 मिलियन यूनिट[4] (एमयू) ऊर्जा उत्पादन का घाटा हुआ जिसका मुल्य ₹ 22.79 करोड़[5] है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में कपंनी और ऊर्जा विभाग ने कहा (नवम्बर 2017 और अप्रैल 2018) कि कंपनी के तरफ से कोई देरी नहीं हुई थी जिसे लेखापरीक्षा ने पूर्वोक्त कारणों के आलोक में अस्वीकार कर दिया।

राँची **(सी. नेडुन्चेलियन)**

दिनांक : 18 अक्टूबर 2018 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांक : 25 अक्टूबर 2018 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

---

4 यूनिट-I जोकि समान क्षमता का है, जून 2015 से जून 2017 के दौरान 17 मेगावाट (20 प्रतिशत) से 65 मेगावाट (100 प्रतिशत) के बीच क्षमता उपयोग द्वारा उत्पादित ऊर्जा के बराबर

5 75.73 एमयू x ₹ 3.01 (प्रति यूनिट ऊर्जा का शुद्ध प्राप्य मूल्य)

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

31 मार्च 2017 को सरकारी कंपनियों के प्रदत्त पूंजी और अदत्त ऋण

(कंडिका 1.1 और 1.5 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	प्रदत्त पूंजी$				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य£	कुल	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
	अ. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
कृषि एवं समवर्गी										
1	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	5.25	0.00	0.00	5.25	0.00
3	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**7.05**	**0.00**	**0.00**	**7.05**	**5.25**	**0.00**	**0.00**	**5.25**	**0.00**
वित्त										
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	0.75	0.00	0.00	0.75	2.50	0.00	0.09	2.59	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.75**	**2.50**	**0.00**	**0.09**	**2.59**	**0.00**
आधारभूत संरचना										
5	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	प्रदत्त पूंजी$				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य£	कुल	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
6	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	64.14	0.00	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**115.14**	**0.00**	**0.00**	**115.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
विनिर्माण										
9	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
10	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**12.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**3.60**	**3.60**	**0.00**
ऊर्जा										
11	तेनुघाट विधुत निगम लिमिटेड	105.00	0.00	0.00	105.00	665.90	0.00	0.00	665.90	0.00
12	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	0.00	0.00	2.10	2.10	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	प्रदत्त पूंजी$				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य£	कुल	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
14	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	2.10	2.10	1,813.19	0.00	0.00	1,813.19	0.00
15	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	2.10	2.10	7,519.11	34.64	286.19	7,839.94	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**113.40**	**0.00**	**6.30**	**119.70**	**10,048.20**	**34.64**	**286.19**	**10,369.03**	**0.00**
सेवा										
16	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	झारखण्ड राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	43.96	0.00	0.00	43.96	0.00
19	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ आधारभूत संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**38.5**	**0.00**	**0.00**	**38.5**	**43.96**	**0.00**	**0.00**	**43.96**	**0.00**
योग (अ) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कंपनियाँ)		**286.84**	**0.00**	**6.30**	**293.14**	**10,099.91**	**34.64**	**289.88**	**10,424.43**	**0.00**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	प्रदत्त पूंजी$				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य£	कुल	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
	(ब) अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
ऊर्जा										
1	कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	15.52	0.00	0.00	15.52	0.00
2	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	19.45	0.00	0.00	19.45	0.00
3	झारबिहार कोलियरी लिमिटेड	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**0.00**	**0.00**	**0.78**	**0.78**	**34.97**	**0.0**	**0.0**	**34.97**	**0.00**
योग (ब) (सभी प्रक्षेत्रवार अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**0.00**	**0.00**	**0.78**	**0.78**	**34.97**	**0.00**	**0.00**	**34.97**	**0.00**
कुल योग (अ+ब)		**286.84**	**0.00**	**7.08**	**293.92**	**10,134.88**	**34.64**	**289.88**	**10,459.40**	**0.00**

$ आवंटन लंबित शेयर आवेदन धन शामिल है।

£ होल्डिंग कंपनी की अंश पूँजी शामिल है।

© वित्तीय संस्थान (एडीबी / सिडबी / आरईसी, आदि) और सा.क्षे.उ. शामिल है।

नोट:- 1) क्रम सं. अ 13, अ 14 और अ 15 क्रम सं. अ 12 की सहायक कंपनियाँ हैं।

2) क्रम सं. ब 1, ब 2 और ब 3, क्रम सं. अ 13 की सहायक कंपनियाँ हैं।

परिशिष्ट-1.2

31 दिसम्बर 2017 को सा.क्षे.उ. (जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा बकाया नहीं है) की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(कंडिका 1.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सा.क्षे.उ. का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखें का वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त
1	2	3	4	5
कार्यशील सरकारी कंपनियाँ				
अ. लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ				
1	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2014-15	11.95	994.41
2	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	1.63	0.85
3	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	2015-16	3.04	0.00
4	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2016-17	0.34	13.54
5	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2016-17	6.02	9.66
कुल (अ)			**22.98**	**1,018.46**
ब. हानि वहन करने वाली कंपनियाँ				
6	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-0.29	0.00
7	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	-1,598.83	2,866.65
8	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2015-16	-97.24	155.37
9	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	-3.82	12.44
कुल (ब)			**-1,700.18**	**3,034.46**
सं. अकार्यशील कंपनियाँ				
10	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	2015-16	-0.55	0.00
कुल (स)			**-0.55**	**0.00**
कुल योग (अ+ब+स)			**-1,677.75**	**4,052.92**

परिशिष्ट-1.3
31 दिसम्बर 2017 को कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के बकाया लेखों के विवरण

(कंडिका 1.9 में संदर्भित)

क्रम संख्या	सा.क्षे.उ. का नाम	अवधि जिसके लेखें बकाया है	बकाया लेखें की संख्या है
1	2	3	4
अ. कार्यशील कंपनियाँ			
1 वर्ष			
1.	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1
2	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	2016-17	1
3	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	1
4	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2016-17	1
5	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	1
6	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड $^{\beta}$	2016-17	1
7	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड $^{\beta}$	2016-17	1
	कुल		**7**
2 से 5 वर्ष			
8	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
9	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
10	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड $^{\beta}$	2015-16 और 2016-17	2
11	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
12	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
13	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
14	तेनुघाट विधुत निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
15	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
16	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ आधारभूत संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड $^{\beta}$	2013-14 से 2016-17	4
17	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2016-17	5
	कुल		**32**
5 वर्ष से ऊपर			
18	झारखण्ड राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड $^{\beta}$	2010-11 से 2016-17	7
19	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2016-17	8
	कुल		**15**
कुल (अ)			**54**

क्रम संख्या	सा.क्षे.उ. का नाम	अवधि जिसके लेखें बकाया है	बकाया लेखें की संख्या है
ब. अकार्यशील कंपनियाँ			
1 वर्ष			
1	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	2016-17	1
कुल			**1**
2 से 5 वर्ष			
शून्य			
5 वर्ष से ऊपर			
2	कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड	2011-12 से 2016-17	6
3	झारबिहार कोलियरी लिमिटेड β	2009-10 से 2016-17	8
कुल			14
11 से 20 वर्ष			
शून्य			
कुल(ब)			**15**
कुल योग (अ) + (ब)			**69**

β कंपनी ने अपने गठन से अभी तक अपने प्रथम लेखें भी अन्तिमीकृत नहीं किये हैं।

परिशिष्ट -1.4 (अ)

झारखण्ड के कार्यशील सा.क्षे.उ. जिनके लेखें बकाया हैं के निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों का नाम

(कंडिका 1.9 में संदर्भित)

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
सा.क्षे.उ. जिनके खाते तीन साल तक बकाया थे						
1	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2016-17	श्री अविनाश कुमार	अध्यक्ष, सचिव, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री विनोद शंकर सिंह	नहीं
			श्री सतेंद्र सिंह	सचिव (व्यय), योजना और वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री विनोद शंकर सिंह	प्रबंध निदेशक		
			श्री शिव चंद्र भगत	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड सरकार		
2	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	2016-17	श्री रघुबर दास	अध्यक्ष	श्री सुखदेव सिंह	नहीं
			श्रीमती राजबाला वर्मा	मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार		
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना और वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री सुखदेव सिंह	प्रबंध निदेशक		
			श्री केके सोन	सचिव, भवन निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
3	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री रघुबर दास	अध्यक्ष	श्री के रवि कुमार	सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना और वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री अरुण कुमार सिंह	प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास, झारखण्ड सरकार		
			श्री सुनील कुमार बरनवाल	सचिव, उद्योग विभाग, खनन और भूविज्ञान, झारखण्ड सरकार		
			श्री के के सोन	सचिव, राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार, झारखण्ड सरकार		
			श्री के रवि कुमार	प्रबंध निदेशक		
4	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री नितिन मदन कुलकर्णी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सचिव, ऊर्जा विभाग झारखण्ड सरकार	श्री नितिन मदन कुलकर्णी	निदेशक, सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री राहुल कुमार पूरवार	निदेशक		
			श्री निरंजन कुमार	निदेशक		
			श्री के के झा	निदेशक (वित्त)		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
5	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	श्री आर के श्रीवास्तव	अध्यक्ष-सह-निदेशक अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री राहुल कुमार पूरवार	नहीं
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एंव वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री राहुल कुमार पूरवार	प्रबंध निदेशक		
6	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	श्री आर के श्रीवास्तव	अध्यक्ष-सह-निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री राहुल कुमार पूरवार	नहीं
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एंव वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री राहुल कुमार पूरवार	प्रबंध निदेशक		
7	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2016-17	श्री आर के श्रीवास्तव	अध्यक्ष-सह-निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री निरंजन कुमार	नहीं
			श्री निरंजन कुमार	प्रबंध निदेशक		
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री अतुल कुमार	निदेशक (परियोजना)		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
पीएसयू जिनके खाते तीन साल से अधिक बकाया थे						
8	तेनुघाट विधुत निगम लिमिटेड	2016-17	श्री आर के श्रीवास्तव	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री रामावतार साहू	नहीं
			श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री रामवतार साहू	प्रबंध निदेशक		
9	झारखण्ड राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	श्री एन एन सिन्हा	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री विनय कुमार चौबे	सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले का विभाग, झारखण्ड सरकार
			श्री विनय कुमार चौबे	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले का विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री पुस्कर सिंह मुंडा	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
10	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री दीपक सिंह	निदेशक	श्री हर्ष मंगला	नहीं
			श्री राजीव अरुण एकका	निदेशक		
			श्री प्रवीण कुमार टोप्पो	निदेशक		
			श्री हर्ष मंगला	प्रबंध निदेशक		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
11	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	2016-17	श्री अरुण कुमार सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	श्री अरुण कुमार सिंह	प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास, झारखण्ड सरकार
			श्री मस्त राम मीना	प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री के के सोन	सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री आशीष सिंघमार	निदेशक, नगर निगम प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड सरकार		
12	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ आधारभूत संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड	2016-17	श्री सुधीर त्रिपाठी	अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीओएचएफडब्ल्यू, झारखण्ड सरकार	श्री कृपा नंद झा	मिशन निदेशक, एनएचएम, झारखण्ड
			श्री कृपा नंद झा	प्रबंध निदेशक		
			श्री कुमकुम प्रसाद	निदेशक-सह-उप सचिव, योजना के प्रभारी डीओएचएफडब्ल्यू, झारखण्ड		
			श्री रितु सहाय	निदेशक-सह-निदेशक (ड्रग्स), डीओएचएफडब्ल्यू, झारखण्ड		
			डॉ प्रवीण चंद्र	मुख्य निदेशक-सह-निदेशक, हेल्थ सर्विसेज झारखण्ड		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
13	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना और वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री सुनील कुमार	नही
			श्री के के सोन	सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री सुनील कुमार	प्रबंध निदेशक		
14	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री अमित खरे	अध्यक्ष, विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	श्रीमती पूजा सिंघल	नही
			श्री सुखदेव सिंह	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री एन एन सिन्हा	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री नितिन मदन कुलकर्णी	सचिव, कृषि, पशुपालन और सहकारी, झारखण्ड सरकार		
			श्रीमती पूजा सिंघल	प्रबंध निदेशक		
			श्री जटा शंकर चौधरी	निदेशक, कृषि, झारखण्ड		
15	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	2016-17	श्री अरुण कुमार सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास, झारखण्ड सरकार	श्री अरुण कुमार सिंह	प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास, झारखण्ड सरकार
			श्री के के सोन	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री नितिन मदन कुलकर्णी	सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
16.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री आलोक कुमार चौरासिया	अध्यक्ष	श्री हरि शंकर गुप्ता	नही
			श्री सुखदेव सिंह	प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री हरि शंकर गुप्ता	प्रबंध निदेशक		
			श्री रमेश रामसाई हेमब्रॉम	प्रधान मुख्य संरक्षक वन, झारखण्ड		
17.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड	2016-17	श्री आर एस तिग्गा	अध्यक्ष, अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री किशोर रजक	नही
			श्री सुरेंद्र कुमार	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, रांची, झारखण्ड सरकार		
			श्री राजेंद्र प्रसाद	सचिव, महिला उत्थान समिति, गढ़वा, झारखण्ड		
			श्री हरिश्चंद्र झा	अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री किशोर रजक	प्रबंध निदेशक		
18.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री अमित खरे	अध्यक्ष, विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री वाघमारे प्रसाद कृष्ण	निदेशक, पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार
			श्री राहुल शर्मा	सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री वाघमारे प्रसाद कृष्ण	प्रबंध निदेशक, निदेशक पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार		

क्रम सं	कंपनी का नाम	अवधि	बोर्ड के निदेशकों के नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिक्ति प्रभार में है
			श्री अशोक कुमार सिंह	निदेशक, युवा मामलों एवं संस्कृति, झारखण्ड सरकार		
19	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री अमित खरे	विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	श्री अबूबकर सिद्दीकी	नही
			श्री सुनील कुमार बरनवाल	अध्यक्ष, सचिव, उद्योग विभाग, खनन और भूविज्ञान, झारखण्ड सरकार		
			श्री के के सोन	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री डॉ अमिताभ कौशल	सचिव, श्रम रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार		
			श्री अबूबकर सिद्दीकी	प्रबंध निदेशक		

परिशिष्ट-1.4 (ब)

निदेशकों के नाम जो एक से ज्यादा सा.क्षे.उ. में हैं जिनकें लेखें बकाया है

(कंडिका 1.9 में संदर्भित)

क्रम सं	नाम	कंपनी
1.	श्री सुखदेव सिंह	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड
2.	श्री अमित खरे	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
		ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड
		तेनुघाट विधुत निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
		झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
		झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड
3.	श्री सुनील कुमार बरनवाल	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
4.	श्री के के सोन	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
		ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड
		झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
		झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड

क्रम सं	नाम	कंपनी
5.	श्री अरुण कुमार सिंह	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड
		झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड
6.	श्री आर के श्रीवास्तव	तेनुघाट विधुत निगम लिमिटेड
		झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
7.	श्री नितिन मदन कुलकर्णी	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड
8.	श्री राहुल पूरवार	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
9.	श्री एन एन सिन्हा	झारखण्ड राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
		झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड
10.	श्री निरंजन कुमार	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
		झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
11.	श्री रघुबर दास	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
		ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड

परिशिष्ट-1.5

राज्य सरकार दवारा सा.क्षे.उ. में अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जिनके खाते 31 दिसंबर 2017 को बकाया थे

(कंडिका 1.11 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. के नाम	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लंबित खातों की अवधि	राज्य सरकार द्वारा अंश, ऋण, अनुदान और गारंटी उन अवधि के लिए जिनके लेख बकाया है					
					अंश	ऋण	पूंजी अनुदान	अन्य≠	प्रत्याभूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ										
1 वर्ष										
1	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	64.14	2015-16	2016-17	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2.10	2015-16	2016-17	0.00	669.92	0.00	1,200.00	0.00	1,869.92
3	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2.10	2015-16	2016-17	0.00	557.42	0.00	0.00	0.00	557.42
4	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड*	15.00	-	2016-17	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
5	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड*	2.00	-	2016-17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
उप कुल					**22.00**	**1,227.34**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**2,449.34**

(₹ करोड़ में)										
क्रम सं	सा.क्षे.उ. के नाम	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लंबित खातों की अवधि	राज्य सरकार द्वारा अंश, ऋण, अनुदान और गारंटी उन अवधि के लिए जिनके लेख बकाया है					
					अंश	ऋण	पूंजी अनुदान	अन्य≠	प्रत्याभूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 से 5 वर्ष										
6	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड*	2.00	-	2015-16	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2016-17	-	-	-	-	-	-
7	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ आधारभूत संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड*	5.00	-	2013-14 से 2015-16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				2016-17	-	-	-	-	-	-
8	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड	5.00	2013-14	2014-15 से 2015-16	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	13.51
				2016-17	-	-	-	-	-	-
9	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	35.00	2013-14	2015-16 तक	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
				2016-17	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. के नाम	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लंबित खातों की अवधि	राज्य सरकार द्वारा अंश, ऋण, अनुदान और गारंटी उन अवधि के लिए जिनके लेख बकाया है					
					अंश	ऋण	पूंजी अनुदान	अन्य≠	प्रत्याभूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	0.75	2012-13	2013-14 से 2015-16	0.75	2.50	0.00	0.00	0.00	3.25
				2016-17	-	-	-	-	-	-
उप कुल					**42.25**	**2.5**	**0.00**	**13.51**	**0.00**	**58.26**
5 वर्ष से अधिक										
11	झारखण्ड राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड*	5.00	-	2010-11 से 2015-16	5.00	43.96	0.00	94.00	0.00	142.96
				2016-17	-	-	-	-	-	-
12	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	9.50	2008-09	2009-10 to 2015-16	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
				2016-17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
उप कुल					**14.00**	**43.96**	**0.00**	**94.00**	**0.00**	**151.96**
कुल (अ)					**78.25**	**1,273.80**	**0.00**	**1,307.51**	**0.00**	**2,659.56**

(₹ करोड़ में)										
क्रम सं	सा.क्षे.उ. के नाम	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लंबित खातों की अवधि	राज्य सरकार द्वारा अंश, ऋण, अनुदान और गारंटी उन अवधि के लिए जिनके लेख बकाया है					
					अंश	ऋण	पूंजी अनुदान	अन्य≠	प्रत्याभूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ब. अकार्यशील कंपनियां										
1 वर्ष	शून्य									
2 से 5 वर्ष	शून्य									
5 वर्ष से अधिक	शून्य									
1	कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड	0.05	2010-11	2015-16 तक	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52
				2016-17	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)					**0.0**	**15.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.52**
सकल कुल (अ + ब)					**78.25**	**1,289.32**	**0.00**	**1,307.51**	**0.000**	**2,675.08**
(स्रोत: आंकड़े सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित हैं.)										

* कंपनी ने अपने गठन के बाद से पहले खाते को अंतिमीकृत नहीं किया है।

≠ इसमें सब्सिडी और राजस्व अनुदान शामिल है (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड और झारखण्ड राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड)।

परिशिष्ट-1.6

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति का सारांश एवं कार्यकारी परिणाम (जिनके खाते तीन से अधिक वर्षों से बकाया नहीं हैं)

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

(₹ करोड में)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. का नाम	अन्तिमीकृत लेखों का वर्ष	शुद्ध लाभ / हानि लाभांश, ब्याज और कर से पहले	शुद्ध लाभ./ हानि कर एवं लाभांश, के बाद	आवर्त	निवेश €	शेयरधारकों का कोष ¥	नियोजित पूँजी #	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल $ (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिफल @ (4/7) आरओआई)	अंश पूँजी पर प्रतिफल µ (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014-15											
अ. लाभ वाली कंपनियाँ											
1	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2.09	1.41	0.48	18.21	18.21	18.21	11.48	11.48	7.74
2	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	2014-15	6.45	4.33	0	61.6	61.6	61.6	10.47	10.47	7.03
3	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2014-15	8.88	5.95	8.08	30.67	30.67	30.67	28.95	28.95	19.40
4	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2014-15	42.36	11.95	994.41	16.98	16.98	16.98	249.47	249.47	70.38
कुल (अ)			**59.78**	**23.64**	**1,002.97**	**127.46**	**127.46**	**127.46**	**46.90**	**46.90**	**18.55**
ब. हानि वाली कंपनियाँ											

(₹ करोड में)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. का नाम	अन्तिमीकृत लेखों का वर्ष	शुद्ध लाभ / हानि लाभांश, ब्याज और कर से पहले	शुद्ध लाभ./ हानि कर एवं लाभांश, के बाद	आवर्त	निवेश €	शेयरधारकों का कोष ¥	नियोजित पूँजी #	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल $ (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिफल @ (4/7) आरओआई)	अंश पूँजी पर प्रतिफल µ (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2014-15	-13.32	-12.62	20.21	-8.81	-12.42	-8.81	--	--	--
6	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2014-15	-11.81	-11.81	12.44	-12.46	-12.46	-12.46	--	--	--
7	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-0.29	-0.29	0	6.1	6.1	6.1	-4.75	-4.75	-4.75
8	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	-468.68	-473.77	2,786.64	-340.35	-542.65	-340.35	--	--	--
9	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2014-15	10.65	-6.45	138.53	685.13	-11.32	685.13	1.55	1.55	--
कुल (ब)			**-483.41**	**-504.94**	**2,957.82**	**691.23***	**6.1***	**691.23***	**-69.93**	**-69.93**	**-8,277.70**
सकल कुल (अ+ब)			**-423.63**	**-481.3**	**3,960.79**	**818.69**	**133.56**	**818.69**	**-51.74**	**-51.74**	**-360.36**
2015-16											
अ. लाभ वाली कंपनियाँ											
1	झारखण्ड औधोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2.41	1.63	0.85	20.83	20.83	20.83	11.57	11.57	7.83
2	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड	2015-16	4.58	3.04	0.10	78.78	78.78	78.78	5.81	5.81	3.86
3	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2015-16	6.86	4.74	6.42	35.41	35.41	35.41	19.37	19.37	13.39

(₹ करोड में)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. का नाम	अन्तिमीकृत लेखों का वर्ष	शुद्ध लाभ / हानि लाभांश, ब्याज और कर से पहले	शुद्ध लाभ./ हानि कर एवं लाभांश, के बाद	आवर्त	निवेश €	शेयरधारकों का कोष ¥	नियोजित पूँजी #	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल $ (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिफल @ (4/7) आरओआई)	अंश पूँजी पर प्रतिफल µ (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल (अ)			13.85	9.41	7.37	135.02	135.02	135.02	10.26	10.26	6.97
ब. हानि वाली कंपनियाँ											
4	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2015-16	-7.55	-6.45	10.5	-15.21	-18.86	-15.21	--	--	--
5	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	-3.82	-3.82	12.44	-16.27	-16.27	-16.27	--	--	--
6	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	-1,598.83	-1,598.83	2,866.7	4,787.25	-2,141.48	4,787.25	-33.40	-33.40	--
7	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2015-16	49.14	-97.24	155.37	1,147.21	-108.56	1,147.21	4.28	4.28	0.00
कुल (ब)			-1,561.06	-1,706.34	3,045.01	5,934.46*	0.00*	5,934.46*	-26.31	-26.31	--
सकल कुल (अ+ब)			-1,547.21	-1,696.93	3,052.38	6,069.48*	135.02*	6,069.48*	-25.49	-25.49	-1,256.80
2016-17											
अ. लाभ वाली कंपनियाँ											
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2016-17	8.71	6.02	9.66	41.43	41.43	41.43	21.02	21.02	14.53

(₹ करोड में)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. का नाम	अन्तिमीकृत लेखों का वर्ष	शुद्ध लाभ / हानि लाभांश, ब्याज और कर से पहले	शुद्ध लाभ./ हानि कर एवं लाभांश, के बाद	आवर्त	निवेश €	शेयरधारकों का कोष ¥	नियोजित पूँजी #	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल $ (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिफल @ (4/7) आरओआई)	अंश पूँजी पर प्रतिफल µ (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2016-17	0.49	0.34	13.54	-18.52	-18.52	-18.52	--	--	--
कुल (अ)			**9.2**	**6.36**	**23.2**	**41.43***	**41.43***	**41.43***	**22.21**	**22.21**	**15.35**
ब. हानि वाली कंपनियाँ											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल कुल (अ+ब)			**9.2**	**6.36**	**23.2**	**41.43***	**41.43***	**41.43***	**22.21**	**22.21**	**15.35**

€ निवेश = (प्रदत्त पूंजी + उन्मुक्त रिजर्व + दीर्घकालिक ऋण)।

¥ (प्रदत्त पूंजी + उन्मुक्त रिजर्व और अधिशेष - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय)

नियोजित पूंजी = शेयरधारकों का कोष + दीर्घकालिक उधार।

$ नियोजित पूंजी पर वापसी = (लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि) / नियोजित पूंजी।

@ निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) = (लाभांश, कर और ब्याज से पहले शुद्ध लाभ) / निवेश।
जहां निवेश = प्रदत्त-पूंजी पूंजी + उन्मुक्त आरक्षित + दीर्घकालिक ऋण

µ इक्विटी पर वापसी (आरओई) = (कर के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश) / शेयरधारकों के फंड।

* कुल में नकारात्मक आंकड़े शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट-1.7

बिहार और झारखण्ड के बीच अविभाजित बिहार राज्य के सा.क्षे.उ. और सांविधिक निगमों का नाम जिनकी संपत्ति और देनदारियों को विभाजित किया जाना था

(कंडिका 1.21 में संदर्भित)

क्रम सं	सा.क्षे.उ. और वैधानिक निगमों का नाम
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
2.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम
4.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड
5.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड
6.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
7.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
8.	बिहार चिकित्सीय एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
9.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड
10.	बिहार राज्य वित्त निगम
11.	बिहार राज्य भण्डारण निगम
12.	बिहार पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड

परिशिष्ट-1.8

डिस्कॉम (जेबीवीएनएल) दवारा उदय योजना का कार्यान्वयन

(कंडिका 1.22 में संदर्भित)

पैरामीटर	लक्ष्य अवधि एमओयू के अनुसार	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय बदलाव:			
केंद्रीय सा.क्षे.उ. के अदत्त ऋण एवं बकायों का अनुदान देकर अधिग्रहण	2015-16	₹ 6,136.37 करोड	₹ 6,136.37 करोड़[1]
	2016-17	₹ 292 करोड	*शून्य*
एटी एवं सी हानि[2] में कमी (प्रतिशत में)	2016-17	28	31.80 *(हासिल नहीं हुआ)*
	2017-18	22	36.28 *(हासिल नहीं हुआ)*
एसीएस - एआरआर में अंतर का उन्मूलन[3] (₹ प्रति यूनिट तक)	2016-17	1.99	1.39 *(हासिल)*
	2017-18	0.99	0.71 *(हासिल)*
ससमय टैरिफ याचिका		30 नवंबर 2016 (वर्ष 2017-18 के लिए टैरिफ याचिका)	29 नवंबर 2017 *(हासिल नहीं हुआ)*
बिलिंग कुशलता (प्रतिशत में)	2016-17	77	75 *(हासिल नहीं हुआ)*
	2017-18	80	79 *(हासिल नहीं हुआ)*
संग्रहण कुशलता (प्रतिशत में)	2016-17	93	91 *(हासिल नहीं हुआ)*
	2017-18	97	87 *(हासिल नहीं हुआ)*
परिचालन बदलाव			
वितरण ट्रांसफॉर्मर मिटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	30 जुन 2017	62,794	42,627 मार्च 2018 तक *(हासिल नहीं हुआ)*

[1] एमओयू के मुताबिक 2015-16 के दौरान झारखण्ड सरकार को ₹ 6,136.37 करोड़ अनुदान देने की आवश्यकता थी। हालांकि, पूरी राशि झारखण्ड सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की गई थी।

[2] कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि एवं विपत्र राशि की गैर प्राप्ति की कमी का कुल योग है।

[3] आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - औसत राजस्व उगाही (एआरआर) का अन्तर

पैरामीटर	लक्ष्य अवधि एमओयू के अनुसार	लक्ष्य	उपलब्धि
फिडर मिटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	30 जुन 2016	761	761 मार्च 2018 तक *(हासिल)*
ग्रामीण फिडर अंकेक्षण (संख्या में)	31 मार्च 2017	761	719 मार्च 2018 तक *(हासिल नहीं हुआ)*
स्मार्ट मिटरिंग (संख्या में)	31 मार्च 2018	1.00 लाख	शून्य *(हासिल नहीं हुआ)*
विद्युत विहीन घरों तक बिजली की पहुँच (संख्या में)	31 मार्च 2018	22.49 लाख	5.39 लाख *(हासिल नहीं हुआ)*
उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण (संख्या में)	31 मार्च 2018	55.48 लाख	120.00 लाख *(हासिल)*
फीडर पृथकीकरण (संख्या में)	31 मार्च 2018	460	शून्य *(हासिल नहीं हुआ)*

परिशिष्ट-2.1.1

पानीपत, हरियाणा से झारखण्ड तक कम समयान्तराल के भीतर दो बार इस्तेमाल होने वाले वाहनों का विवरण

(कंडिका 2.1.3 में संदर्भित)

क्रं सं	वाहन सं	भेजने की तिथि	भेजे गये धागे की मात्रा (कि.ग्रा.)	प्रेषित स्थान	गंतव्य	दूरी कि.मी. में	दूसरी यात्रा से पहले दोनों ओर की दूरी कि.मी. में	आवश्यक औसत गति यदि वाहन प्रति दिन 12 घंटे यात्रा करे	बिल सं	अभ्युक्ति
1	HR-61A-9842	27-07-17	6,000	पानीपत	लातेहार	1,183	2,366	197 कि.मी./घं	5574/100	पानीपत से धागे के प्रेषण के लिए उस वाहन का अगले ही दिन प्रयोग किया गया
		28-07-17	6,000	पानीपत	साहिबगंज	1,567			5588/100	
2	HR-67A-1091	28-07-17	7,000	पानीपत	साहिबगंज	1,567	3,134	261 कि.मी./घं	195/100 & 5581/100	पानीपत से धागे के प्रेषण के लिए उस वाहन का अगले ही दिन प्रयोग किया गया
		29-07-17	6,000	पानीपत	राँची	1,308			5605/100	
3	UP-14T-3252	28-07-17	6,000	पानीपत	राँची	1,308	2,616	218 कि.मी./घं	5519/100	पानीपत से धागे के प्रेषण के लिए उस वाहन का अगले ही दिन प्रयोग किया गया
		29-07-17	6,000	पानीपत	साहिबगंज	1,567			5620/100	
4	HR-63B-6164	28-07-17	6,000	पानीपत	लातेहार	1,183	2,366	197 कि.मी./घं	5597/100	पानीपत से धागे के प्रेषण के लिए उस वाहन का अगले ही दिन प्रयोग किया गया
		29-07-17	6,000	पानीपत	देवघर	1,355			5598/100	
5	HR-67A-2319	28-07-17	6,000	पानीपत	राँची	1,308	2,616	109 कि.मी./घं	5583/100	उस वाहन का प्रयोग दो दिनों के अवधि में किया गया
		30-07-17	6,000	पानीपत	गोड्डा	1,446			5625/100	
6	HR-67A-2402	27-07-17	6,500	पानीपत	साहिबगंज	1,567	3,134	131 कि.मी./घं	191/50 & 5577/100	उस वाहन का प्रयोग दो दिनों के अवधि में किया गया
		29-07-17	6,000	पानीपत	साहिबगंज	1,567			5603/100	
7	HR-67B-2739	27-07-17	6,000	पानीपत	देवघर	1,355	2,710	113 कि.मी./घं	5576/100	उस वाहन का प्रयोग दो दिनों के अवधि में किया गया
		29-07-17	6,000	पानीपत	लातेहार	1,183			5601/100	
8	UP-17T-6355	28-07-17	6,000	पानीपत	लातेहार	1,183	2,366	99 कि.मी./घं	5591/100	उस वाहन का प्रयोग दो दिनों के अवधि में किया गया
		30-07-17	6,000	पानीपत	महुआटांड (लातेहार)	1,224			5619/100	
9	HR-61A-9842	28-08-17	6,000	पानीपत	लातेहार	1,183	2,366	66 कि.मी./घं	206	उस वाहन का प्रयोग तीन दिनों के अवधि में किया गया
		31-08-17	6,000	पानीपत	राँची	1,308			212	

10	UP-17T-3059	28-07-17	6,000	पानीपत	रामगढ़	1,260	2,520	70 कि.मी./घं	5582/100	उस वाहन का प्रयोग तीन दिनों के अवधि में किया गया
		31-07-17	6,000	पानीपत	गोड्डा	1,446			5629/100	
11	UP-17T-3059	31-08-17	6,000	पानीपत	गोड्डा	1,446	2,892	60 कि.मी./घं	213	उस वाहन का प्रयोग चार दिनों के अवधि में किया गया
		04-09-17	6,000	पानीपत	साहिबगंज	1,567			221	
12	UP-17T-9420	05-09-17	6,000	पानीपत	गोड्डा	1,446	2,892	48 कि.मी./घं	224	उस वाहन का प्रयोग पाँच दिनों के अवधि में किया गया
		10-09-17	6,000	पानीपत	राँची	1,308			5721	
		कुल	**1,45,500**							

परिशिष्ट-2.1.2

वाहनों का विवरण जिनका पंजीकरण संख्या माल प्राप्ति रसीद के परिवहन चालान में उल्लिखित पंजीकरण संख्या एवं वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी सड़क परमिट में उल्लिखित पंजीकरण संख्या से भिन्न थे

(कंडिका 2.1.3 में संदर्भित)

क्रं सं	परिवहन चालान में उल्लिखित वाहन पंजीकरण संख्या	प्रेषक	भेजे गये धागे की मात्रा (कि.ग्रा.)	परिवहन चालान की तिथि	प्रेषित स्थान	परिवहन चालान की माल प्राप्ति रसीद सं	बिल सं	उसी माल प्राप्ति रसीद के लिए सड़क परमिट में उल्लिखित वाहन एवं चालान सं
1	HR-67A-1339	एन.ए.एन. वूलेन मिल्स	6,000	27-06-17	साहिबगंज	716	5488/100	HR-67B-2739
2	HR-55E-4568	-तथैव-	6,000	27-06-17	रामगढ़	720	5492/100	HR-55E-4548
3	HR-55T-9438	-तथैव-	6,000	28-06-17	राँची	725	5496/100	HR-63B-6362
4	HR-67B-2739	-तथैव-	6,000	30-06-17	राँची	727	5506/100	UP-14ET-3010
5	HR-55T-9438	-तथैव-	6,000	30-06-17	राँची	728	5507/100	HR-06Y-5514
6	HR-43AT-7132	-तथैव-	6,000	30-06-17	राँची	729	5508/100	HR-06G-0378
7	HR-63B-6164	-तथैव-	6,000	30-06-17	साहिबगंज	731	5510/100	HR-67-4518
8	HR-61A-8285	-तथैव-	6,000	30-06-17	महुआटांड	734	5513/100	HR-67J-6511
कुल			48,000					

परिशिष्ट-2.1.3

झारखण्ड के विभिन्न क्लस्टर से पानीपत, हरियाणा के लिए अर्ध-तैयार कम्बल ले जाने वाले वाहनों का विवरण जिनका प्रयोग दो बार उसी दिन या कम समयान्तराल में दो विभिन्न जिलों से किया गया

(कंडिका 2.1.3 में संदर्भित)

क्र सं	वाहन सं	भेजने की तिथि	भेजे गये कम्बल (संख्या)	प्रेषित स्थान	गंतव्य	दूरी	डी.सी.ओ. संख्या[1]	अभ्युक्ति
1	UP-44-AT-0281	29.09.2017	3,066	देवघर	पानीपत	1,355 कि.मी.	597/17-18	झारखण्ड के दो विभिन्न जिलों से एक ही वाहन से एक ही तिथि को पानीपत भेजे गये अर्ध-परिष्कृत कम्बल
		29.09.2017	3,043	गोड्डा	पानीपत	1,446 कि.मी.	585/17-18	
2	UP-65-AT-4739	26-10-2017	6,301	रामगढ़	पानीपत	1,260 कि.मी.	776/17-18	झारखण्ड के दो विभिन्न जिलों से एक ही वाहन से एक ही तिथि को पानीपत भेजे गये अर्ध-परिष्कृत कम्बल
		26-10-2017	2,831	डाल्टनगंज	पानीपत	1,152 कि.मी.	790/17-18	
3	HR-67B-6567	26-09-2017	2,830	गोड्डा	पानीपत	1,446 कि.मी.	563/17-18	झारखण्ड के दो विभिन्न जिलों से एक ही वाहन से तीन दिन के समयांतराल में पानीपत भेजे गये अर्ध-परिष्कृत कम्बल
		29-09-2017	3,000	डाल्टनगंज	पानीपत	1,152 कि.मी.	589/17-18	
कुल			21,071					

(स्रोत: ट्रांसपोर्टर चालान की लेखापरीक्षा जाँच)

[1] झारक्राफ्ट के जेनेसिस सॉफ्टवेयर में अंकित डिलीवरी कन्साइनमेंट आर्डर संख्या

परिशिष्ट-2.1.4

एस.एच.जी /पी.डब्ल्यू.सी.एस. द्वारा बिना धागे की उपलब्धता के कम्बल आपूर्ति किए जाने की विवरणी

(कंडिका 2.1.5 में संदर्भित)

क्र सं	प्रा.बु.स.स. का नाम	क्र सं	स्व. स. स./ प्रा.बु.स.स. द्वारा कम्बल आपूर्ति की तिथि	आपूर्ति तिथि को बुनाई के लिये धागे की उपलब्धता (कि.ग्रा. में)	उपलब्ध धागे से बुने जा सकने वाले अधिकतम कम्बलों की संख्या @ 2.12 किग्रा प्रति कम्बल (संख्या)	सूचित किये गये प्राप्त कम्बलों की संख्या	बिना धागे के आपूर्ति दर्शाये गये अतिरिक्त कम्बल (7-6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आदर्श पी.बी.एस.एस. बिश्रामपुर	1	30-06-2016	0.000	0.00	164	164
		2	27-10-2016	9,080	4,283	6,000	1,717
		3	31-10-2016	0.00	0.00	512	512
		4	17-11-2016	5,134.12	2,422	3,425	1,003
		5	24-01-2017	6,250.96	2,949	3,775	826
2	बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार	6	05-12-2016	0.00	0.00	3,750	3,750
		7	24-03-2017	715.8	338	1,000	662
3	हर्ष गाँधी एसएचजी,महुआड़ार	8	08-12-2016	0.00	0.00	1,900	1,900
4	हर्ष गरीब नवाज एसएचजी	9	08-12-2016	1,080	509	2,831	2,322
5	इस्लामपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड	10	30-06-2017	0.00	0.00	566	566
6	पोखरीकलां वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	11	21-10-2016	0.00	0.00	17,000	17,000
7	संयुक्त एच एच ए के के ए सहयोग समिति लि.	12	01-03-2017	148.4	70	600	530
		13	16-06-2017	4,904.13	2,313	3,016	703
8	शिर्डी साईं ग्राम विकास केंद्र	14	30-06-2017	0.00	0.00	1,982	1,982
9	द हरिहरगंज प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड	15	17-11-2016	636.12	300	1,725	1,425
		16	24-01-2017	3,018.4	1,424	3,303	1,879
		17	21-04-2017	7,000.88	3,302	3,600	298
		18	21-06-2017	5,832.92	2,751	3,104	353
10	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	19	27-10-2016	0.00	0.00	900	900
		20	17-11-2016	2,615	1,233	3,031	1,798
		21	27-02-2017	2,246.79	1,060	2,000	940
11	उपेरकोंकी हत्मारा एसएचजी, इस्लामपुर	22	30-06-2017	0.00	0.00	1,132	1,132
12	उरगुट्टू पी. डब्ल्यू. सी. एस.	23	30-06-2017	0.00	0.00	1,132	1,132
13	जाकिर बुनकर एसएचजी, बरहेट	24	26-09-2017	9,600	4,528	5,943	1,415
कुल योग					27,482	72,391	44,909

(स्रोत: जेनेसिस आंकडो से लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना)

परिशिष्ट-2.1.5

एस.एच.जी /पी.डब्ल्यू.सी.एस. द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक आपूर्ति किए गये कम्बलों की विवरणी

(कंडिका 2.1.5 में संदर्भित)

क्र सं	एस.एच.जी /पी.डब्ल्यू.सी.एस. का नाम	उपलब्ध हथकरघों की संख्या	धागे की आपूर्ति की तिथि		अवधि (दिन)	इस अवधि में बुनाई के लिए धागे की उपलब्धता	एस.एच.जी /पी.डब्ल्यू.सी. एस. द्वारा इस अवधि में क्लस्टर मैनेजर को आपूर्ति किए गये कम्बलों की संख्या	इस अवधि से पूर्व झारक्राफ्ट द्वारा दिए गये धागे से बुनाकर एस.एच.जी /पी.डब्ल्यू.सी. एस. द्वारा आपूर्ति किए गये कम्बलों की संख्या	हथकरघों की उपलब्ध संख्या के अनुसार इस अवधि में कम्बल बुनाई क्षमता (संख्या में)	अधिकतम बुनाई क्षमता से अधिक बुने हुए दिखाए गये कंबलों की संख्या
			से	तक						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (10)= (3) x (6)	(11) (11) = (8) - [(9)+(10)]
1.	आदर्श पी.बी.एस.एस., बिश्रामपुर	40	30-06-2016	30-06-2016	0	0	164	0	0	164
	आदर्श पी.बी.एस.एस., बिश्रामपुर	40	24-10-2016	27-10-2016	3	9,080	6,000	0	1,200	4,800
	आदर्श पी.बी.एस.एस., बिश्रामपुर	40	27-10-2016	31-10-2016	4	0	512	0	0	512
	आदर्श पी.बी.एस.एस., बिश्रामपुर	40	12-11-2016	17-11-2016	5	5,134.12	3,425	0	2,000	1,425
	आदर्श पी.बी.एस.एस., बिश्रामपुर	40	17-11-2016	22-11-2016	5	12,000	2,711	0	2,000	711
2.	आंबेडकर बुनकर एसएचजी, जमुनिया, मोहनपुर	5	12-09-2017	26-09-2017	14	4,000	1,887	472	700	715
	आंबेडकर बुनकर एसएचजी, जमुनिया, मोहनपुर	5	24-11-2017	05-12-2017	11	6,000	2,830	0	550	2,280
3.	अजूबा एसएचजी	10	12-09-2017	26-09-2017	14	10,200	4,811	566	1,400	2,845
	अजूबा एसएचजी	10	09-10-2017	30-10-2017	21	6,000	2,830	0	2,100	730
	अजूबा एसएचजी	10	24-11-2017	05-12-2017	11	9,000	4,245	0	1,100	3,145

4.	बसुल्वारा एसएचजी	10	18-09-2017	26-09-2017	8	10,100	4,764	719	800	3,245
	बसुल्वारा एसएचजी	10	24-11-2017	05-12-2017	11	6,375	3,007	0	1,100	1,907
5.	बोरिओ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि., बोरिओ	20	18-09-2017	19-09-2017	1	53,000	6,606	4,000	200	2,406
	बोरिओ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि., बोरिओ	20	19-09-2017	20-09-2017	1	38,995.28	5,661	0	200	5,461
	बोरिओ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	20	20-09-2017	25-09-2017	5	26,993.96	12,737	0	1,000	11,737
	बोरिओ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	20	09-10-2017	18-10-2017	9	12,000	5,662	0	1,800	3,862
	बोरिओ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि., बोरिओ	20	24-11-2017	29-11-2017	5	18,000	8,492	0	1,000	7,492
6.	बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	12-09-2017	26-09-2017	14	10,800	5,096	1,400	1,400	2,296
	बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	09-10-2017	30-10-2017	21	9,000	4,246	0	2,100	2,146
	बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	24-11-2017	05-12-2017	11	9,000	4,245	0	1,100	3,145
7.	चमन बुनकर एसएचजी	5	12-09-2017	20-10-2017	38	12,840	6,056	700	1,900	3,456
	चमन बुनकर एसएचजी	5	27-11-2017	30-11-2017	3	6,486.28	3,059	1	150	2,908
8.	दानिश ग्रुप एसएचजी	5	12-09-2017	05-10-2017	23	6,000	2,830	300	1,150	1,380
	दानिश ग्रुप एसएचजी	5	09-10-2017	25-10-2017	16	3,000	1,415	0	800	615
9.	धागा वीवर एसएचजी, बोअरिजोर	5	09-10-2017	13-10-2017	4	10,200	1,981	1,150	200	631
	धागा वीवर एसएचजी, बोअरिजोर	5	13-10-2017	20-10-2017	7	6,000.28	2,831	0	350	2,481
	धागा वीवर एसएचजी, बोअरिजोर	5	27-11-2017	30-11-2017	3	6,000	2,831	0	150	2,681
10.	गाँधी बुनकर एसएचजी, बलधार	5	16-09-2017	26-09-2017	10	5,000	2,359	500	500	1,359
	गाँधी बुनकर एसएचजी, बलधार	5	27-11-2017	05-12-2017	8	6,000	2,830	0	400	2,430

11.	गुलाम बुनकर समूह	5	09-10-2017	13-10-2017	4	12,000	1,415	1,150	2,00	65
	गुलाम बुनकर समूह	5	13-10-2017	20-10-2017	7	9,000.2	4,246	0	350	3,896
	गुलाम बुनकर समूह	5	27-11-2017	30-11-2017	3	9,375	4,423	0	150	4,273
12.	हलीमा बुनकर एसएचजी, पोरियाहाट	5	12-09-2017	26-09-2017	14	6,360	3,000	170	700	2,130
	हलीमा बुनकर एसएचजी, पोरियाहाट	5	09-10-2017	20-10-2017	11	3,000	1,415	0	550	865
	हलीमा बुनकर एसएचजी, पोरियाहाट	5	27-11-2017	29-11-2017	2	12,485	2,830	0	100	2,730
	हलीमा बुनकर एसएचजी, पोरियाहाट	5	29-11-2017	30-11-2017	1	6,485.4	3,059	0	50	3,009
13.	हर्ष गाँधी एसएचजी, महुआटांड	15	12-09-2017	15-09-2017	3	9,600	1,698	0	450	1,248
	हर्ष गाँधी एसएचजी, महुआटांड	15	18-09-2017	21-09-2017	3	7,800.24	3,680	450	450	2,780
	हर्ष गाँधी एसएचजी, महुआटांड	15	09-10-2017	25-10-2017	16	7,800	3,680	0	2,400	1,280
	हर्ष गाँधी एसएचजी, महुआटांड	15	27-11-2017	07-12-2017	10	7,200	3,396	0	1,500	1,896
14.	हर्ष गरीब नवाज एसएचजी	15	24-10-2016	08-12-2016	45	1,080	2,831	0	509	2,322
	हर्ष गरीब नवाज एसएचजी	15	18-09-2017	19-09-2017	1	23,513.2	8,777	3,606	150	5,021
	हर्ष गरीब नवाज एसएचजी	15	09-10-2017	25-10-2017	16	27,105.96	10,475	2,314	2,400	5,761
	हर्ष गरीब नवाज एसएचजी	15	27-11-2017	07-12-2017	10	27,698.96	10,759	2,311	1,500	6,948
15.	इस्लामपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	5	09-10-2017	13-10-2017	4	16,800	4,529	2,400	200	1,929
	इस्लामपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	5	27-11-2017	30-11-2017	3	13,198.52	2,831	2,250	150	431
	इस्लामपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	5	30-11-2017	07-12-2017	7	7,196.8	2,831	0	350	2,481
16.	केंदुआ पी.डब्ल्यू.सी.एस. लि.	10	15-09-2017	20-09-2017	5	6,000.12	2,830	300	500	2,030
	केंदुआ पी.डब्ल्यू.सी.एस. लि.	10	09-10-2017	25-10-2017	16	3,600	1,698	0	1,600	98
	केंदुआ पी.डब्ल्यू.सी.एस. लि.	10	27-11-2017	29-11-2017	2	1,800	849	0	200	649
17.	खुशबू महिला एसएचजी	10	09-10-2017	18-10-2017	9	18,000	5,662	2,700	900	2,062
	खुशबू महिला एसएचजी	10	18-10-2017	30-10-2017	12	5,996.56	2,831	0	1,200	1,631

18.	क्रांति ग्रुप एसएचजी	5	12-09-2017	05-10-2017	23	7,800	2,764	300	1,150	1,314
	क्रांति ग्रुप एसएचजी	5	25-10-2017	30-10-2017	5	3,000.52	1,415	85	250	1,080
19.	लोहाबंधा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	10	09-10-2017	20-10-2017	11	6,000	2,830	0	1,100	1,730
	लोहाबंधा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	10	27-11-2017	29-11-2017	2	12,375	2,830	0	200	2,630
	लोहाबंधा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	10	29-11-2017	30-11-2017	1	6,375.4	3,007	0	100	2,907
20.	महात्मा गाँधी हस्तकरघा बुनकर एसएचजी	20	12-09-2017	15-09-2017	3	36,240	2,944	1,200	6,00	1,144
	महात्मा गाँधी हस्तकरघा बुनकर एसएचजी	20	18-09-2017	25-09-2017	7	35,998.72	8,492	600	1,400	6,492
	महात्मा गाँधी हस्तकरघा बुनकर एसएचजी	20	09-10-2017	18-10-2017	9	35,995.68	8,493	2,800	1,800	3,893
	महात्मा गाँधी हस्तकरघा बुनकर एसएचजी	20	01-12-2017	08-12-2017	7	23,985.36	2,831	307	1,400	1,124
21.	महिला जागृति एसएचजी	10	18-09-2017	26-09-2017	8	14,000	6,605	1,100	800	4,705
	महिला जागृति एसएचजी	10	27-11-2017	05-12-2017	8	6,375	3,007	0	800	2,207
22	मतवारा बुनकर एसएचजी, राजदमना	5	18-09-2017	26-09-2017	8	10,000	4,717	772	400	3,545
	मतवारा बुनकर एसएचजी, राजदमना	5	09-10-2017	09-11-2017	31	6,000	2,830	0	1,550	1,280
	मतवारा बुनकर एसएचजी, राजदमना	5	27-11-2017	05-12-2017	8	6,485	1,415	0	400	1,015
23.	नाज़ हैंडलूम	10	12-09-2017	19-09-2017	7	12,000	2,830	1,200	700	930
	नाज़ हैंडलूम	10	19-09-2017	20-09-2017	1	6,000.4	2,831	0	100	2,731
	नाज़ हैंडलूम	10	09-10-2017	30-10-2017	21	12,000	5,662	0	2,100	3,562
	नाज़ हैंडलूम	10	27-11-2017	29-11-2017	2	6,000	2,831	0	200	2,631
24.	नवाडीह ककनी बुनकर समूह	5	12-09-2017	26-09-2017	14	15,900	7,501	600	700	6,201
	नवाडीह ककनी बुनकर समूह	5	09-10-2017	20-10-2017	11	3,000	1,415	0	550	865
	नवाडीह ककनी बुनकर समूह	0	27-11-2017	29-11-2017	2	9,000	4,245	0	0	4,245

25.	नेहा बावरी ग्रुप एसएचजी	5	18-09-2017	05-10-2017	17	12,000	2,592	600	850	1,142
	नेहा बावरी ग्रुप एसएचजी	5	09-10-2017	25-10-2017	16	9,504.96	3,069	200	800	2,069
	नेहा बावरी ग्रुप एसएचजी	5	25-10-2017	09-11-2017	15	2,998.68	1,415	0	750	665
26.	नेहरु बुनकर एसएचजी	5	12-09-2017	26-09-2017	14	4,000	1,887	472	700	715
	नेहरु बुनकर एसएचजी	5	09-10-2017	09-11-2017	31	6,000	2,830	0	1,550	1,280
	नेहरु बुनकर एसएचजी	5	27-11-2017	05-12-2017	8	3,000	1,415	0	400	1,015
27.	पोखरीकलां वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लि.	80	01-12-2017	08-12-2017	7	84,006.72	13,406	157	5,600	7,649
28.	प्रिंस ग्रुप एसएचजी	5	12-09-2017	05-10-2017	23	10,000	3,066	300	1,150	1,616
	प्रिंस ग्रुप एसएचजी	5	09-10-2017	25-10-2017	16	6,500.08	1,651	200	800	651
	प्रिंस ग्रुप एसएचजी	5	25-10-2017	30-10-2017	5	2,999.96	1,415	0	250	1,165
29.	पुन्दाग खुर्द डब्लू. सी. एस.लि.	10	18-09-2017	19-09-2017	1	24,000	5,662	1,800	100	3,762
	पुन्दाग खुर्द डब्लू. सी. एस.लि.	10	19-09-2017	25-09-2017	6	11,996.56	5,662	0	600	5,062
	पुन्दाग खुर्द डब्लू.सी.एस. लि.	10	09-10-2017	18-10-2017	9	6,000	2,831	0	900	1,931
	पुन्दाग खुर्द डब्लू.सी. एस.लि.	10	27-11-2017	30-11-2017	3	6,000	2,831	0	300	2,531
30.	पूरबडीह पी. डब्लू.सी.एस. लि., रामगढ़	0	09-10-2017	20-10-2017	11	6,000	2,831	0	0	2,831
	पूरबडीह पी. डब्लू.सी.एस. लि., रामगढ़	0	27-11-2017	29-11-2017	2	6,000	2,831	0	0	2,831
31.	राधिका बुनकर एसएचजी	10	12-09-2017	26-09-2017	14	4,200	1,981	500	1,400	81
32.	राजमहल पी. डब्लू.सी.एस.	10	12-09-2017	20-09-2017	8	12,500	5,897	1,200	800	3,897
	राजमहल पी. डब्लू.सी.एस.	10	09-10-2017	18-10-2017	9	6,000	2,831	0	900	1,931
33.	रामजन बुनकर समिति	5	09-10-2017	13-10-2017	4	19,800	2,264	1,150	200	914
	रामजन बुनकर समिति	5	13-10-2017	20-10-2017	7	15,000.32	7,077	0	350	6,727
	रामजन बुनकर समिति	5	27-11-2017	30-11-2017	3	9,375	4,423	0	150	4,273
34.	सलाम बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	13-09-2017	26-09-2017	13	14,400	6,793	1,132	1,300	4,361

	सलाम बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	09-10-2017	30-10-2017	21	6,000	2,830	0	2,100	730
	सलाम बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	27-11-2017	05-12-2017	8	9,000	4,245	0	800	3,445
	सलाम बुनकर एसएचजी, मनियारडीह	5	18-09-2017	26-09-2017	8	10,500	4,953	500	400	4,053
	सलाम बुनकर एसएचजी, मनियारडीह	5	09-10-2017	09-11-2017	31	6,000	2,830	0	1,550	1,280
	सलाम बुनकर एसएचजी, मनियारडीह	5	27-11-2017	05-12-2017	8	6,484	1,415	0	400	1,015
35.	संयुक्त एच एच ए के के ए सहयोग समिति लि.	25	13-02-2017	01-03-2017	16	148.4	600	70	70	460
	संयुक्त एच एच ए के के ए सहयोग समिति लि.	25	20-04-2017	21-04-2017	1	1,800.13	800	0	250	550
	संयुक्त एच एच ए के के ए सहयोग समिति लि.	25	29-04-2017	16-06-2017	48	4,904.13	3,016	49	2,313	654
	संयुक्त एच एच ए के के ए सहयोग समिति लि.	25	15-09-2017	26-09-2017	11	13,798.28	5,662	1,768	2,750	1,144
36.	सरैया प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	20	15-09-2017	20-09-2017	5	6,000.28	2,830	400	1,000	1,430
	सरैया प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	20	09-10-2017	25-10-2017	16	8,400	3,962	0	3,200	762
	सरैया प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि.	20	27-11-2017	29-11-2017	2	10,200	4,812	0	400	4,412
37.	शिर्डी साईं ग्राम विकास केंद्र	15	13-09-2017	05-10-2017	22	22,200	8,492	3,300	3,300	1,892
38.	सोनी बुनकर एसएचजी, महुआडाबर	5	13-09-2017	26-09-2017	13	4,200	1,981	566	650	765
	सोनी बुनकर एसएचजी, महुआडाबर	5	27-11-2017	05-12-2017	8	6,000	2,830	0	400	2,430
39.	सोसोंकलां पी. डब्लू. सी. एस.लि.,मगानपुर	25	18-09-2017	05-10-2017	17	55,500	13,861	4,500	4,250	5,111

	सोसोंकलां पी. डब्लू. सी. एस.लि.,मगानपुर	25	09-10-2017	25-10-2017	16	35,114.68	12,321	1,000	4,000	7,321
	सोसोंकलां पी. डब्लू. सी. एस.लि.,मगानपुर	25	25-10-2017	30-10-2017	5	8,994.16	4,246	0	1,250	2,996
	सोसोंकलां पी. डब्लू. सी. एस.लि.,मगानपुर	25	27-11-2017	07-12-2017	10	30,750	14,507	0	2,500	12,007
40.	सुमैया बुनकर वेलफेयर सोसाइटी	10	13-09-2017	19-09-2017	6	12,000	2,830	1,300	600	930
	सुमैया बुनकर वेलफेयर सोसाइटी	10	19-09-2017	20-09-2017	1	6,000.4	2,831	0	100	2,731
	सुमैया बुनकर वेलफेयर सोसाइटी	10	09-10-2017	30-10-2017	21	12,000	5,662	0	2,100	3,562
41.	सुनीता ग्रुप एसएचजी	5	13-09-2017	05-10-2017	22	7,800	2,264	350	11,00	814
	सुनीता ग्रुप एसएचजी	5	09-10-2017	25-10-2017	16	6,000.32	1,415	200	800	415
	सुनीता ग्रुप एसएचजी	5	25-10-2017	30-10-2017	5	3,000.52	1,415	0	250	1,165
42.	तनबीर ग्रुप एसएचजी	5	13-09-2017	05-10-2017	22	9,000	2,850	300	1,100	1,450
	तनबीर ग्रुप एसएचजी	5	09-10-2017	25-10-2017	16	5,958	1,395	200	800	395
	तनबीर ग्रुप एसएचजी	5	25-10-2017	30-10-2017	5	3,000.6	1,415	0	250	1,165
43.	द हरिहरगंज प्रा.बु.स.स. लिमिटेड	25	05-11-2016	17-11-2016	12	636.12	1,725	300	300	1,125
	द हरिहरगंज प्रा.बु.स.स. लिमिटेड	25	17-11-2016	22-11-2016	5	9,060	1,785	0	1,250	535
	द हरिहरगंज प्रा.बु.स.स. लिमिटेड	25	18-04-2017	21-04-2017	3	7,000.88	3,600	1,931	750	919
	द हरिहरगंज प्रा.बु.स.स. लिमिटेड	25	27-11-2017	05-12-2017	8	32,362.36	11,323	4,342	2,000	4,981
44.	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	18	31-10-2016	04-11-2016	4	6,007	1,600	0	720	880

	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	18	04-11-2016	17-11-2016	13	2,615	3,031	0	1,233	1,798
	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	18	30-11-2016	09-12-2016	9	13,342.87	2,481	360	1,620	501
	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	18	20-04-2017	05-05-2017	15	9,000	3,410	107	2,700	603
	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	18	10-10-2017	20-10-2017	10	19,751.8	5,662	155	1,800	3,707
	द मुरुजुली वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	18	30-11-2017	01-12-2017	1	19,748.36	5,662	3,655	180	1,827
45.	द सिठियो वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	10	13-09-2017	25-09-2017	12	12,000	5,662	340	2,160	3,162
	द सिठियो वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	10	27-11-2017	08-12-2017	11	12,000	5,662	1,950	1,980	1,732
46.	तिगरा बुनकर सहयोग समिति लि.	10	22-06-2017	30-06-2017	8	1,800	850	0	800	50
	तिगरा बुनकर सहयोग समिति लि.	10	13-09-2017	05-10-2017	22	25,760	3,661	1,300	22,00	161
	तिगरा बुनकर सहयोग समिति लि.	10	09-10-2017	10-10-2017	1	29,998.68	8,490	400	100	7,990
47.	उमर बुनकर एसएचजी, फसिया	5	13-09-2017	26-09-2017	13	9,600	4,528	800	650	3,078
	उमर बुनकर एसएचजी, फसिया	5	09-10-2017	20-10-2017	11	6,000	2,830	0	550	2,280
	उमर बुनकर एसएचजी, फसिया	5	27-11-2017	29-11-2017	2	9,375	4,422	0	100	4,322
48.	उपेरकोंकी हत्मारा एसएचजी, इस्लामपुर	10	09-10-2017	20-10-2017	11	22,800	6,793	4,800	11,00	893
49.	उरगुट्टू पी. डब्ल्यू. सी. एस.	10	09-10-2017	20-10-2017	11	8,400	2,831	1,132	1,100	599
	उरगुट्टू पी. डब्ल्यू. सी. एस.	10	27-11-2017	30-11-2017	3	14,398.28	2,831	1,131	300	14,00
	उरगुट्टू पी. डब्ल्यू. सी. एस.	10	30-11-2017	05-12-2017	5	8,396.56	2,831	0	500	2,331
50.	यस्मिन ग्रुप एसएचजी	5	18-09-2017	05-10-2017	17	10,400	3,080	550	850	1,680

	यस्मिन ग्रुप एसएचजी	5	09-10-2017	25-10-2017	16	6,870.4	1,826	200	800	826
	यस्मिन ग्रुप एसएचजी	5	25-10-2017	09-11-2017	15	2,999.28	1,415	0	750	665
51.	जाकिर बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	13-09-2017	26-09-2017	13	9,600	5,943	1,300	1,300	3,343
	जाकिर बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	09-10-2017	30-10-2017	21	9,000	4,246	0	2,100	2,146
	जाकिर बुनकर एसएचजी, बरहेट	10	27-11-2017	05-12-2017	8	9,000	4,245	0	800	3,445
कुल							**6,04,718**	**83,390**	**1,49,435**	**3,71,893**

(स्रोत: जेनेसिस आंकड़ों से लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in